रजिस्ट्री सं० डी०—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 26, 1981 (पौष 5, 1903)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 26, 1981 (PAUSA 5, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

कृषि ऋण विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई-400018, दिनांक 3 दिसम्बर 1981

सं० ए०सी०डी० 60/ए० 18-81/82—बैंककारी विनियमन अधिनियम, की धारा 1949 की धारा 56 के खण्ड (यक) के साथ पठित धारा 36 क की उपधारा (2) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा यह अधिसूचित करता है कि निम्नलिखित सहकारी बैंक उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सहकारी बैंक नहीं रह गया है ।

क्रम सं०	बैंक का नाम	राज्य
1.	झालोद कस्बा को-आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड झालोद, जिला पंचमहाल	गुजरात

रमेशचन्द्र प्रधान,
अपर मुख्य अधिकारी

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर

जयपुर, दिनांक 16 दिसम्बर, 1981

सं० —समनुषंगी बैंक सामान्य विनियम, 1959 के उपविनियम (I) के साथ पठित उप विनियम (2) के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 14 सितम्बर 1981 की हमारी सूचना के अनुसरण में भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25 की उपधारा (I) के खण्ड (डी) के अन्तर्गत 2 निदेशकों के चुनाव हेतु (निम्नांकित 3 व्यक्तियों के वैध नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं :—

(1) श्री ए० सी० चटर्जी,
सी-30, बापू नगर'
जयपुर।

(2) श्री सुरेन्द्र कुमारजैन,
बरवाड़ा हाऊस,
सत्य महल होटल के सामने
नं० 5, सिविल लाइन्स,
जयपुर।

(3) श्री लालचन्द कोठारी,
श्री सवाल कोठारी मोहल्ला,
बीकानेर।

आगे यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रयोजनार्थ स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के शेयरधारियों की एक साधारण सभा पूर्व सूचनानुसार सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में शनिवार, दिनांक 2 जनवरी, 1982 को अपराह्न 3 बजे (मानक समय) होगी।

दिनांक 23 दिसम्बर 1981

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक के शेयरधारियों का रजिस्टर शनिवार 30 जनवरी 1982 से शनिवार, 13 फरवरी 1982 तक दोनों दिन मिलाकर बन्द रहेगा।

बोर्ड के आदेशानुसार
म० भू० दत्त
प्रबन्ध निदेशक

स्टेट बैंक आफ मैसूर
(भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी)
प्रधान कार्यालय :
बंगलोर-9, दिनांक 3 दिसम्बर 1981

सूचना

दिसम्बर 31, 1981 को समाप्त हुये वर्ष के लिए बैंक के शेयरधारियों को—जिनका नाम 14 जनवरी 1982 तक बैंक की बहियों में रजिस्ट्रीकृत हैं, बैंक के 35वीं लाभांश भुगतान करने के लिये स्टेट बैंक आफ मैसूर का शेयर-रजिस्टर 31 जनवरी, 1982 से 14 फरवरी 1982 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहता है।

वी० नवरत्नराजु, कृते प्रबन्ध निदेशक

भारतीय खाद्य निगम
प्रधान कार्यालय
नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 दिसम्बर, 81

सं० 12/फा० सं० 1-16/76-ई०पी०—1974 में केन्द्र सरकार के अनुमोदन से भारतीय खाद्य निगम ने एक वेतन समिति की स्थापना की थी। वेतन समिति का कार्य अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की इच्छित तथा संभावित परिलब्धियों और सेवा शर्तों को देखना तथा उन पर सिफारिश करना था। वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि उसके द्वारा प्रस्तावित संशोधित वेतनमान 1-1-73 से लागू किये जाने चाहिए 17 अप्रैल, 1975 के खाद्य निगम के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा इस संबंध में वेतन समिति की सिफारिशों की स्वीकृति के बाद, बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा अनुमोदित सिफारिशों को केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिये आवश्यक संदर्भ खाद्य विभाग को भेजा गया। विभिन्न पदों के 1-1-73 से लागू होने वाले संशोधित वेतनमानों के लिये 23 अप्रैल, 1976 को खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 के अन्तर्गत खाद्य विभाग ने केन्द्र सरकार का अनुमोदन भेजा। वेतन समिति की कुछ सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गये अनुमोदन में भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) अधिनियम, 1971 के कुछ प्रावधानों में संशोधनों की अपेक्षा की गई थी। इसी लिए यह विचार किया गया था कि केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये अनुमोदन के फलस्वरूप जो संशोधन जरूरी थे उन्हें कर्मचारी वृन्द विनियमों में प्रस्तावित परिवर्तनों को अंतिम रूप देने के लिये सभी सिफारिशों को आवृत्त करने वाली एक अधिसूचना जारी की जाये। तथापि, कर्मचारीवृन्द विनियमों में प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप देने में प्रत्याशित समय से अधिक समय लग रहा था। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित विभिन्न पदों के संशोधित वेतनमान भारत के राजपत्र में अधिसूचित किये जायें। इसीलिये मामले में कार्यवाही करने के लिये केन्द्र सरकार के खाद्य विभाग से अनुमोदन मांगा गया। खाद्य विभाग से अधिसूचना के पैरा 2 और 3 का 19 अक्तूबर, 1979 को पैरा 4 का 29 दिसम्बर, 1976 के तथा पैरा 5 का 29 अप्रैल, 1977 को अनुमोदन प्राप्त होने पर ये संशोधन इन अलग-अलग तिथियों से लागू किये गये। तथापि, अंतिम अधिसूचना 13 दिसम्बर, 1979 को ही जारी की जा सकी। इन विनियमों के पिछले समय से लागू किये जाने के कारण किसी को नुकसान होने की संभावना नहीं है।

सं० 11/फा० सं० 7-4-79-ई०पी०—खाद्य निगम अधिनियम 1964 का (1964 का 37) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम निम्नलिखित विनियम बनाकर भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी वृन्द) विनियम, 1971 में और आगे संशोधन करता है :—

1. (1) ये विनियम भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी वृन्द) (80 वां संशोधन) विनियम, 1981 कहे जायं।

(2) ये तुरन्त प्रभावी होंगे।

2. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी वृन्द) विनियम, 1971 का विद्यमान विनियम 30 इस प्रकार रखा जायेगा :—

"30 कार्यारम्भ काल :—

(1) निगम के कर्मचारी को कार्यारम्भ काल लोक हित में स्थानान्तरण होने पर दिया जायेगा ताकि वह उसी स्थान पर या नये स्थान पर नये पद का कार्य ग्रहण कर सके। यदि अस्थाई स्थानान्तरण 180 दिन से अधिक

अवधि का नहीं है तो कोई कार्य-आरम्भ काल ग्राह्य नहीं होगा। केवल दौरे की यात्रा के मामले में ग्राह्य वास्तविक मार्गस्थ समय दिया जाये।

(2) प्रतियोगी परीक्षा और/या साक्षात्कार जो नियम के कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए हों परिणाम के आधार पर नियम के अधीन पदों पर भर्ती के लिए निगम के कर्मचारी इन नियमों के अंतर्गत कार्यारम्भ काल के हकदार होंगे।

(3) (क) यदि पुराने पद का चार्ज पूर्वाह्न में दिया जाता है तो उसी तिथि से अथवा यदि चार्ज अपराह्न में दिया जाता है तो आने वाली अगली तिथि से कार्यारम्भ काल प्रारम्भ होगा।

(ख) जहां कोई कर्मचारी अपने स्थानान्तरण के आदेश प्राप्त करता है या अपने मुख्यालय को छोड़कर अन्य स्थान पर पुराने पद का चार्ज देता है या दौरे के समय कर्मचारी का मुख्यालय स्वयं दौरे वाले स्थान पर परिवर्तित कर दिया जाता है या जहां उसका अस्थाई स्थानान्तरण स्थाई स्थानान्तरण में बदल दिया जाता है, वहां इन मामलों सहित सभी मामलों में कार्य आरम्भ काल की गणना पुराने मुख्यालय से की जायेगी।

(ग) उसी स्थान पर नये पद का कार्य ग्रहण करने के लिए या जिसमें एक स्थान दूसरे स्थान पर निवास का परिवर्तन निहित न हो, के लिए। किसी कर्मचारी को एक दिन से अधिक समय का कार्यारम्भ काल प्रदान नहीं किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए "उसी स्थान" का अभिप्राय उस क्षेत्र से माना जाएगा जो नगरपालिका या नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आता हो जिसमें कथित नगरपालिका आदि से सम्बद्ध उपनगरीय नगरपालिकाएं, अधिसूचित क्षेत्र अथवा केंटोनमेंट शामिल हों।

(घ) जिन मामलों में एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरण निहित हों तथा निवास का परिवर्तन भी निहित हो उन मामलों में निगम के कर्मचारी को नीचे दी गई अनुसूची में दर्शाये अनुसार सीधे रास्ते से तथा साधारण यात्रा के तरीके से पुराने मुख्यालय तथा नये मुख्यालय के मध्य दूरी के संदर्भ में कार्यारम्भ काल प्रदान किया जाएगा। जब कार्यारम्भ काल के बाद छुट्टी (छुट्टियां) आती हैं तब ऐसी छुट्टी (छुट्टियों) की पूर्ति के लिए सामान्य कार्यारम्भ काल बढ़ाया जाना समझा जाये।

पुराने मुख्यालय और नये मुख्यालय के बीच की दूरी	ग्राह्य कार्यारम्भ काल	जहां स्थानान्तरण में अनिवार्यरूप से सड़क द्वारा यात्रा 200 कि० मी० से अधिक निहित हो वहां के लिए ग्राह्य कार्यारम्भ काल
1,000 कि०मी० या इससे कम	10 दिन	12 दिन
1,000 कि०मी० से अधिक	12 दिन	15 दिन
2,000 कि०मी० से अधिक	15 दिन (हवाई जहाज की यात्रा को छोड़कर) अधिकतम 12 दिन (हवाई जहाज के लिए)	

टिप्पणी :—दूरी का अर्थ वास्तविक दूरी से है, न कि भारीय दूरी से जिसके लिए कुछ घाट/पहाड़ी इलाकों में रेल द्वारा किराया लिया जाता है।

(ङ) उपर्युक्त उप-विनियम 3 (घ) में दर्शाई गई सीमाओं के अलावा कार्यारम्भ काल में बढ़ोत्तरी आंचलिक प्रबंधकों/प्रधान कार्यालय में कार्मिक प्रबंधक (जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत संबंधित कर्मचारी आता है)। द्वारा अधिकतम 30 दिन की सीमा तक तथा 30 दिन के बाद मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/वित्तीय सलाहकार द्वारा की जा सकती है, मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि तैयारी के लिए लगभग 8 दिन तथा यथो चितमार्गस्थ समय एवं छुट्टियों (बढ़ाये गए कार्यारम्भ काल के बाद यदि कोई हों,) के बराबर कार्यारम्भ काल की कुछ अवधि होनी चाहिए। मार्गस्थ समय की गणना करते समय हड़ताल या प्राकृतिक आपदाओं के कारण परिवहन व्यवस्था अवरुद्ध होने के कारण अपरिहार्य रूप से बिताया गया समय या स्टीमर के प्रस्थान के इन्तजार में बिताया गया समय मान्य होगा।

(4) (क) जब कर्मचारी पूरा कार्यारम्भ काल लिये बिना नये पद का कार्य ग्रहण करता है तब 15 दिन की अधिकतम शर्त सहित उपविनियम 3(घ) की ग्राह्यता के अनुसार लिये गये वास्तविक दिनों को घटाकर बाकी के कार्यारम्भ काल के दिनों की संख्या को अर्जित अवकाश के रूप में उसके छुट्टी खाते में जमा कर दिया जायेगा

(ख) कार्यारम्भ काल आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है ।

(ग) यदि किसी कर्मचारी को जबकि वह स्थानान्तरण के मार्ग में हो निर्देश दिये जाते हैं कि वह उस स्थान से भिन्न स्थान पर जाये जिसके लिए कि उसे आरम्भ में स्थानान्तरण आदेश दिये गये थे तो वह संशोधित आदेशों की प्राप्ति की तिथि तक पहले ही लिये गये कार्यारम्भ काल तथा संशोधित आदेशों की प्राप्ति की तिथि के बाद पुनः नये कार्यारम्भ काल के लिए हकदार होगा । ऐसे मामलों में नये कार्यारम्भ काल की गणना उस स्थान से की जायेगी जहां पर वह संशोधित आदेश प्राप्त करता है, मानों कि वह उस स्थान से स्थानान्तरित किया गया हो ।

(5) स्थानान्तरण करने वाला प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में अपने विवेकाधार पर इन विनियमों के अन्तर्गत ग्राह्य कार्यारम्भ काल में कमी/बढ़ोत्तरी कर सकता है तथा इसके लिखित में कारण रिकार्ड करने होंगे ।

(6) यदि कोई कर्मचारी कार्यारम्भ काल में अपने नये स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करता तो वह कार्यारम्भ काल के बाद में किसी वेतन या छुट्टी वेतन का अधिकारी नहीं होगा । यदि कोई कर्मचारी कार्यारम्भ काल के बाद जानबूझकर ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो इन विनियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी ।"

3. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम 1971 का विद्यमान विनियम 80 इस प्रकार रखा जायेगा :—

"80. कार्यारम्भ काल के दौरान वेतन एवं भत्ते :—

कार्यारम्भ काल के दौरान कर्मचारी को ड्यूटी पर माना जायेगा तथा वह पुराने पद पर चार्ज देने से पूर्व जो वेतन ले रहा था उसके बराबर कार्यारम्भ काल के वेतन का हकदार होगा । ऐसे कार्यारम्भ काल वेतन में यथोचित मंहगाई भत्ते के लिए भी वह हकदार होगा । इसके अतिरिक्त, जिस स्थान से वह स्थानान्तरित किया गया है उस पुराने स्थान पर लागू दरों पर अपने पूरान पद पर लागू नगर प्रतिकर भत्ते तथा मकान किराये भत्ते जैसे क्षतिपूरक भत्ते लेने का भी हकदार होगा ।"

आर० नारायणस्वामी,
सचिव

कार्यालय छावनी बोर्ड, रानीखेत

रानीखेत, दिनांक 08 दिसम्बर 1981

शुद्धि-पत्र

पत्रांक/243/टोल टैक्स—अधिसूचना का. नि. आ. 243/60/ए. टी. टी. एन. दिनांक 8 नवम्बर 1981 जो भारत के राजपत्र भाग ।।।—खण्ड 4, सप्ताहांत 21 नवम्बर 81 को पृष्ठ संख्या 3142 पर छपी है, में पंक्ति नं. 30 में शब्द "आर. डी. चतुर्वेदी" के स्थान पर "आर. डी. चतुर्वेदी" पढ़ा जाए ।

आर. डी. चतुर्वेदी,
छावनी कार्यपालक अधिकारी,
रानीखेत

भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड

चण्डीगढ़-160036, दिनांक 27 नवम्बर, 1981

सं० 28208/बी-1273/11-पी—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 79 की उपधारा (9) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति लेकर, एतद्द्वारा नीचे बताए अनुसार विनियम बनाता है :—

1. संक्षिप्त नाम, सीमा, लागू होना और आरंभ:—

(1) इन विनियमों को भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि विनियमावली 1981 कहा जाएगा;

(2) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी;

(3) यह विनियमावली भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड के सभी नियमित और निर्माण कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर लागू होगी, लेकिन नीचे लिखे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी;

(i) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या राज्य बिजली बोर्डों की पेंशन नियमावली, सामान्य या अंशदायी या अन्य किसी भविष्य निधि नियमावली से नियंत्रित कर्मचारी;

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम 19) के उपबंधों द्वारा नियंत्रित कर्मचारी, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 और कर्मचारी जमा और बीमा योजना, 1976 जैसी सुविधाओं के हकदार हैं।

परिभाषाएं :—इस विनियमावली में यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तो—

(1) "लेखा अधिकारी" का अभिप्राय भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड में काम करने वाले लेखा अधिकारी या सहायक लेखा अधिकारी से है, जिसे कार्यकारी अधिकारी ने इन विनियमों के लिए इस पद पर मनोनीत किया है :]

(2) "बोर्ड" का अभिप्राय भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड से है जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 80 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 79 के अन्तर्गत बनाया गया है :—

(3) "न्यासी बोर्ड" का अभिप्राय है ऐसा न्यासी बोर्ड, जो निधि की देखभाल के लिए इन विनियमों के अन्तर्गत बनाया गया हो;

(4) "अध्यक्ष" का अभिप्राय, यदि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो तो इन विनियमों के अन्तर्गत बनाए गए न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष से है;

(5) "निरन्तर सेवा" का अभिप्राय बोर्ड के अधीन अविच्छिन्न सेवा से है और इसमें ऐसी सेवा भी शामिल है जो बीमारी या ड्यूटी के दौरान हुई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई दुर्घटना, प्राधिकृत छुट्टी, हड़ताल जो गैर-कानूनी न हो या काम के रुक जाने, जिसमें कर्मचारी का दोष न हो, की बाधाओं के कारण विच्छिन्न हुई हो;

(6) "परिलब्धियों" का अभिप्राय महंगाई भत्ता, छुट्टी, वेतन, मजदूरी या निर्वाहभत्ता सहित मासिक वेतन से है किन्तु मकान किराया, समयोपरि भत्ता और अन्य परिवर्तनशील या अतिरिक्त भत्ते इसमें शामिल नहीं होंगे। दैनिक दर के आधार पर काम करने वाले मजदूर की मासिक परिलब्धियां, महीने के पहले सामान्य कार्य दिवस को उसकी स्वीकृत मजदूरी की दैनिक दर से 25 गुनी मानी जाएगी।

स्पष्टीकरण :—प्रत्येक मामले में 25 दिनों आधार पर ही मासिक परिलब्धियों का हिसाब लगाया जाए। यह सिद्धान्त उन कर्मचारियों के मामले में लागू होता है जो रविवार और अधिसूचित छुट्टियों को छोड़कर शेष सभी दिन काम करते हैं। दैनिक दर के आधार पर नियुक्त उन कर्मचारियों के मामले में, जिन्हें महीने के दौरान साप्ताहिक छुट्टियों की मजदूरी भी मिलती है 30 दिन के आधार पर मासिक परिलब्धियों का हिसाब लगाया जाएगा।

(7) "कर्मचारी" का अभिप्राय ऐसे किसी भी व्यक्ति से है जो निधि में अंशदान देता हो और जो बोर्ड द्वारा, शारीरिक श्रम या अन्य प्रकार के श्रम के किसी भी प्रकार के काम पर, मजदूरी या वेतन पर नियुक्त किया गया हो और जो बोर्ड से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी मजदूरी पाता हो;

(8) "कार्यकारी अधिकारी" का अभिप्राय इन विनियमों के अन्तर्गत बनाए गए न्यासी बोर्ड कार्यकारी अधिकारी से है;

(9) "परिवार" का अभिप्राय है—

(क) पुरुष अभिदाता के मामले में, अभिदाता की पत्नी या पत्नियां और बच्चे, और

अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और बच्चे और अभिदाता के आश्रित माता-पिता;

लेकिन यदि कोई अभिदाता यह सिद्ध कर दे कि उसकी पत्नी न्यायिक रूप से उससे अलग हो गई है या वह जिस समाज का है उस समाज की प्रथा के अनुसार भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं रही है तो उसी समय से उसे इन विनियमों से संबंधित मामलों में अभिदाता के परिवार का सदस्य तब तक नहीं माना जाएगा, जब तक स्वयं अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप से यह सूचित नहीं करता कि उसे उसके परिवार का सदस्य माना जाए;

(ख) महिला अभिदाता के मामले में उसका पति और बच्चे, और उसके मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और बच्चे और अभिदाता के आश्रित माता-पिता;

लेकिन, यदि कोई अभिदाता लेखा अधिकारी के पास इस आशय का लिखित नोटिस भेजे कि उसके पति को उसके परिवार में शामिल न माना जाए, तो उसी समय से उसके पति को तब तक, इन विनियमों से संबंधित मामलों में अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा, जब तक अभिदाता अपना नोटिस लिखित रूप में रद्द न करवाए।

स्पष्टीकरण—"बच्चा" का अर्थ है वैध संतान और यदि अभिदाता के स्वीय कानून द्वारा गोद लेना मान्य हो तो दत्तक संतान भी इस अर्थ में शामिल है;

(10) "निधि" का अभिप्राय बोर्ड की अंशदायी भविष्य निधि से है;

(11) "नामांकित व्यक्ति" का अभिप्राय है कि यदि किसी व्यक्ति का परिवार है तो उसके परिवार का कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति और इनके न होने पर सदस्य द्वारा लिखित रूप में नामांकित एक या एक से अधिक व्यक्ति जो सदस्य की मृत्यु, बोर्ड द्वारा उसकी सेवा समाप्त किए जाने से पहले हो जाने पर, सदस्य की सम्पदा के प्रति देय होने वाली राशि प्राप्त कर सकता है;

लेकिन, यदि दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को नामांकित करने के बाद अभिदाता का अपना परिवार हो जाता है, तो ऐसा होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उसको अपने परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों को मनोनीत करने के लिए निर्धारित फार्म में फिर से नामांकन करना चाहिए;

(12) "वेतन" में, यदि नौकरी की शर्तों में ऐसी व्यवस्था हो तो महंगाई भत्ता भी शामिल है लेकिन दूसरे सभी भत्ते और परिलब्धियां उसमें शामिल नहीं हैं;

(13) "अभिदाता" का अभिप्राय है, वह कर्मचारी जो निधि में अभिदान करता है;

(14) "न्यासी" का अभिप्राय है निधि की देख-रेख के लिए बनाए गए न्यासी बोर्ड का सदस्य;

(15) "वर्ष" का अभिप्राय हर वर्ष पहली अप्रैल को शुरू होने वाले वित्त वर्ष से है;

(16) इन विनियमों में इस्तेमाल किए गए जिन शब्दों और पदावलियों की परिभाषा इनमें नहीं दी गई है लेकिन जिनकी परिभाषा भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) में, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) में या इस विनियमावली के अन्तर्गत आने वाले, बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू अवकाश नियमों में दी गई है, उनका क्रमशः उन अधिनियमों और अवकाश नियमों में दिया गया अर्थ ही मान्य होगा।

3. निधि का निर्माण :—एक अलग निधि का निर्माण किया जाएगा, जो रुपयों में होगी, और जिसमें कर्मचारियों और नियोक्ताओं से प्राप्त हुई कुल राशि जमा की जाएगी और इस लेखे को "भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि लेखा" कहा जाएगा।

4. निधि का विनियमन:—(1) यह निधि इन विनियमों या किन्हीं ऐसे नियमों/विनियमों द्वारा शासित होगी जो उस समय लागू हो और न्यासियों द्वारा उनकी व्याख्या की जाएगी। आमतौर पर न्यासियों का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा। लेकिन, यदि न्यासी बोर्ड और अभिदाता के बीच इन विनियमों में से किसी विनियम की व्याख्या को लेकर कोई मतभेद उठ खड़ा हो तो निर्णय के लिए मामला क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास भेज दिया जाएगा और उसका निर्णय अन्तिम और दोनों पक्षों को मान्य होगा।

(2) निधि का हिसाब रुपयों में रखा जाएगा और यह निधि अभिदाताओं के अभिदान और बोर्ड के अंशदान से बनेगी और अभिदाताओं के खाते में जमा ब्याज भी इसमें शामिल किया जाएगा।

(3) विनियम 14 और 15 में उल्लिखित न्यासी, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 के अन्तर्गत आने वाली प्रतिभूतियों में निधि का उतना हिस्सा निवेश करेंगे जितना उचित समझा जाए और

न्यासियों द्वारा निर्धारित किया जाए और उक्त निवेश पर प्राप्त होने वाला ब्याज या लाभ बोर्ड के नाम जमा किया जाएगा।

5. निधि की सदस्यता :—(1) प्रत्येक कर्मचारी यथास्थिति बोर्ड के अधीन अपनी सेवा शुरू करने की तारीख से लगातार सेवा के छ: महीने पूरे कर चुकने पर उसके अगले महीने की पहली तारीख से या छ: महीने या इससे कम अवधि में 120 दिन तक काम करने पर या स्थायी घोषित कर दिए जाने पर, इनमें से जो भी पहले हो, निधि मे शामिल हो सकता है और इस प्रकार वह निधि का सदस्य बन सकता है।

टिप्पणी

120 दिन तक की काम की अवधि की गणना करते समय, कच्चे माल और ईंधन की कमी, बिजली पूर्ति न होने, उत्पादन की दिशा में परिवर्तन आने के कारण, मशीनरी में खराबी आ जाने या ऐसे ही दूसरे कारणों से उत्पन्न अनैच्छिक बेरोजगारी की अवधि के बाबत यह माना जाएगा कि कर्मचारी ने स्थापना मे काम किया है, प्राधिकृत छुट्टी की अवधि और महिला कर्मचारी के मामले में प्रसूति अवकाश की 12 सप्ताह तक की अवधि को भी ऐसे दिनों में माना जाएगा कि कर्मचारी ने इन दिनों स्थापना में काम किया है।

(2) राज्य सरकार या बिजली बोर्डों और केन्द्रीय सरकार के विभागों के पेंशन-भोगी और अधिवर्षिता की आयु प्राप्त व्यक्तियों के लिए यह विकल्प होगा कि वे बोर्ड के अन्तर्गत अपनी नौकरी के पहले दिन से निधि में शामिल हो सकते है, लेकिन सेवा समाप्त होने पर ऐसे अभिदाता को बोर्ड का अंशदान तभी देय होगा, जब तक अभिदाता बोर्ड के अधीन नौकरी करते हुए दो वर्ष पूरे कर लेगा।

(3) प्रत्येक अभिदाता निधि में शामिल होने के समय सदस्यता के लिए फार्म-1 में आवेदन करेगा।

(4) निधि का कोई भी सदस्य तब तक सदस्य बना रहेगा जब तक वह निधि में अपने नाम जमा सारी राशि निकाल नहीं लेता या जब तक विनियमों के अनुसार उसकी राशि किसी दूसरी भविष्य निधि में अंतरित नहीं हो जाती।

(5) महीने में पहली बार कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि की सदस्यता के योग्य हुए कर्मचारियों की विवरणी नियोक्ता फार्म-2 में भेजेगा।

6. विदेश सेवा या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति :— यदि किसी अभिदाता को विदेश सेवा में स्थानान्तरित कर दिया जाता है या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो भी, निधि के विनियमों के अन्तर्गत, उसे उसी प्रकार निधि का अभिदाता माना जाता रहेगा मानो उसे स्थानान्तरित नहीं किया गया है या प्रतिनियुक्ति पर नही भेजा गया है।

8. कर्मचारी की पिछली भविष्य निधि की राशि का अंतरण स्वीकार करना :—(1) न्यासी ऐसे किसी अभिदाता की पिछली भविष्य निधि की राशि स्वीकार कर लेंगे जो बोर्ड के अन्तर्गत नौकरी करने से पहले किसी ऐसी भविष्य निधि का सदस्य था जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्धों से मुक्त है या किसी ऐसी सांविधिक निधि या भविष्य निधि का सदस्य था जिस पर भविष्य निधि अधिनियम 1925 (1925 का 19) लागू होता है। ऐसे व्यक्ति को इस निधि की सदस्यता मे एकदम शामिल कर लिया जायेगा। लेकिन इस विनियम की किसी बात से यह नहीं माना जायेगा कि बोर्ड द्वारा विनियम 13 के अन्तर्गत किया जाने वाला अंशदान निर्धारित करने के लिये इस प्रकार की अन्तरित राशि को ध्यान में रखा जायेगा और इस निधि में इस प्रकार की गई अदायगी या अन्तरण किये जाने पर निधि में इतनी ही राशि का अंशदान करने के लिये बोर्ड बाध्य नहीं होगा। ऊपर बताई गई शर्त के अधीन रहते हुए, ऐसी अन्तरित राशि, सदस्य बनने वाले व्यक्ति के खाते में जमा कर दी जायेगी और इस निधि के विनियमों के उस समय लागू उपबन्धो से नियंत्रित होगी।

(2) यदि इस निधि का कोई अभिदाता बोर्ड के अन्तर्गत नौकरी करना छोड़ देता है तो उसकी जमा राशि, बोर्ड का कर्मचारी न रहने की तारीख से ही उसे देय होगी। यदि वह कर्मचारी बोर्ड से अपनी भविष्य निधि की सारी राशि निकालने से पहले किसी ऐसे कार्यालय मे काम करना शुरू कर देता है जो भविष्य निधि और विधि उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के अन्तर्गत आता है चाहे उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन उसे छूट प्राप्त हो या न हो तो वह न्यासी बोर्ड को अपनी भविष्य निधि की राशि नये नियोक्ता के पास अन्तरित कराने के लिये आवेदन कर सकता है।

8. नामांकन :—(1) कर्मचारी, निधि में शामिल होते समय न्यास बोर्ड के पास एक नामांकन भेजेगा जिसमें वह, निधि की राशि देय होने से पहले ही या देय हो जाने किन्तु भुगतान न किये जाने से पहले ही अपनी मृत्यु हो जाने पर, उक्त राशि प्राप्त करने के लिये एक या अधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत करेगा।

परन्तु यदि नामांकन करने के समय तक कर्मचारी का अपना परिवार है तो यह नामांकन उसके परिवार के ही किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होगा।

(2) यदि कोई कर्मचारी उप-विनियम (1) के अन्तर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है, तो वह नामांकन पत्र में इस बात का भी उल्लेख करेगा कि प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को कितना- कितना हिस्सा देय हो ताकि उसकी निधि में जमा सारी राशि किसी भी समय उनमें बांटी जा सके।

(3) प्रत्येक नामांकन फार्म-1 में किया जाएगा।

(4) अभिदाता, न्यासी बोर्ड के पास एक लिखित नोटिस भेजकर किसी भी समय अपना नामांकन रद्द करा सकता है।

लेकिन अभिदाता, इस नोटिस के साथ उप-विनियम (3) के उपबंध के अनुसार नया नामांकन पत्र भी भेजेगा।

(5) कर्मचारी अपने नामांकन पत्र में ऐसी व्यवस्था कर सकता है :—

(क) यदि अभिदाता द्वारा नामांकित किसी निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु स्वयं अभिदाता से पहले हो जाती है तो उस नामांकित व्यक्ति को प्राप्त अधिकार नामांकन पत्र में उल्लेख किए गए अनुसार अन्य व्यक्ति को मिल जाएगा।

(ख) यदि नामांकन पत्र में उल्लिखित कोई आकस्मिक घटना घट जाये तो नामांकन रद्द हो जायेगा, किन्तु नामांकन करने के समय तक कर्मचारी का परिवार नहीं है तो वह अपने नामांकन-पत्र में इस बात का उल्लेख करेगा कि बाद में उसका परिवार हो जाने पर उक्त नामांकन रद्द माना जायेगा।

9. निधि की परिसम्पत्तियां:—निधि के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे—

(क) इन विनियमों में बताये अनुसार, अभिदाताओं द्वारा अपनी पगार या वेतन या मजदूरी या परिलब्धियों में से दिया गया अंशदान ;

(ख) न्यासियों द्वारा प्राप्त अंशदान या उनकी कुल राशियां और ऐसे अंशदानों और कुल राशियों पर ब्याज और उससे खरीदी गई प्रतिभूतियां और केवल निधि की पूंजीगत परिसम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त हुआ कोई पूंजीगत लाभ ;

(ग) जहां इन विनियमों के अन्तर्गत अन्तरणों की अनुमति हो, वहां दूसरी भविष्य निधियों से अन्तरित राशि;

(घ) इन विनियमों के अन्तर्गत निधि में जब्त हुई राशि;

(ङ) बोर्ड से प्राप्त दान, यदि कोई हो।

10. निधि की परिसम्पत्तियां और उनकी व्यवस्था:—निधि की परिसम्पत्तियों और उसकी व्यवस्था का भार विधिवत् बनाए गए ट्रस्ट पर होगा, जो "अपरिवर्तनीय होगा लेकिन लाभ प्राप्त करने वाले सभी सदस्यों की सहमति से उसमें परिर्तन किया जा सकेगा। न्यासियों के पास निधि की जो राशि होगी उसमें से कोई भी रकम बोर्ड वसूल नहीं कर सकेगा, लेकिन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अन्तर्गत विहित मामलों में या बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य यथार्थ कारणों के आधार पर बोर्ड उसमें से राशि वसूल कर सकता है।

11. निधि में अभिदान और अंशदान :—(1) प्रत्येक सदस्य, हर महीने अपने वेतन के 8-1/3 के बराबर निकटतम रकम निधि में अभिदान करेगा। अभिदान की यह रकम-चौथाई रुपये कर दी जाएगी।

टिप्पणी :—छुट्टी-वेतन वाली छुट्टी के दौरान अभिदाता, अपनी इच्छानुसार वास्तव में लिये गये छुट्टी वेतन के आधार पर या छुट्टी पर जाने से तुरन्त पहले लिये गये पूरे वेतन के आधार पर अभिदान करेगा।

(2) अनिवार्य अभिदान के साथ साथ कोई सदस्य, अपनी इच्छा से अनिवार्य अभिदान और सरकार और बोर्ड की कटौतियों के बाद बचे उच्चतम वेतन में से हर महीने पूरे-पूरे रुपयों में एक निश्चित रकम जमा करा सकता है। यदि वित्त वर्ष शुरू होने से पहले से अभिदान की दर में कोई परिवर्तन न किया जाये तो ऐच्छिक अभिदान और दूसरे अभिदान की दर वर्ष भर एक सी रहेगी।

इस ऐच्छिक अभिदान पर, बोर्ड के विनियमों के अन्तर्गत ब्याज के अलावा, कोई अंशदान नहीं किया जाएगा।

(3) नियोक्ता, अंशदानों का विवरण तथा महीने की विवरणी फार्म 3 और 4 में भेजेगा।

12. वसूली

(1) प्रत्येक कर्मचारी का अभिदान स्रोत पर ही उसकी पगार या मजदूरी के प्रत्येक आवधिक भुगतान में से वसूल कर लिया जायेगा और निधि के बही खातों में कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में जमा किये जाने के लिये न्यासी बोर्ड को भेज दिया जायेगा।

(2) यदि कोई अभिदाता, विदेश सेवा में हो और विदेशी नियोक्ता से अपनी पगार पाता हो तो अभिदाता का यह दायित्व होगा कि वह अपना मासिक अंशदान, निधि के न्यासियों के पास भेजे। विदेश सेवा में नियुक्त अभिदाता के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा देय अंशदान विदेशी नियोक्ता से वसूल किया जायेगा।

13. बोर्ड द्वारा अंशदान

बोर्ड, इन विनियमों के अतर्गत, हर महीने प्रत्येक सदस्य के सम्बन्ध में, उसके अनिवार्य अभिदान की कुल राशि के बराबर रकम का अंशदान करेगा। इस प्रकार किया गया अंशदान निधि के बहीखातों में सदस्य के व्यक्तिगत खाते में जमा करने के लिये न्यासी बोर्ड के पास भेज दिया जायेगा।

14. निधि का प्रबन्ध

निधि की अभिरक्षा, नियंत्रण और प्रबन्ध, इस प्रयोजन के लिये विधिवत बनाये गये न्यासी बोर्ड के हाथ में होगा, जो अपरिवर्तनीय होगा। लेकिन लाभ प्राप्त करने वाले सभी सदस्यों की सहमति से इस बोर्ड में परिवर्तन किया जा सकता है। लेखा रखने, लेखे और विवरणियां प्रस्तुत करने, जमा राशियों का अन्तरण करने, निरीक्षण प्रभार की अदायगी

करने और ऐसे दूसरे खर्चों सहित निधि की व्यवस्था संबंधी सभी खर्च बोर्ड द्वारा वहन किये जायेंगे।

15. बोर्ड के न्यासी

निधि के न्यासी बोर्ड के सदस्यों में नंगल, सुन्दरनगर और तलवाड़ा स्थित सिंचाई स्कंध के स्टाफ का एक-एक प्रतिनिधि होगा और बिजली खंड के स्टाफ का एक प्रतिनिधि होगा। बोर्ड, मान्यता प्राप्त यूनियनों से परामर्श करने के बाद इन प्रतिनिधियों को नियुक्त करेगा। प्रबंध पक्ष का प्रतिनिधित्व मुख्य इंजीनियर (सिंचाई), मुख्य इंजीनियर (बिजली) तथा वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी करेंगे। सदस्य/सिंचाई न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष होगा, वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, न्यासी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी होगा।

16. न्यासी बोर्ड की बैठकें

(1) निधि का न्यासीबोर्ड, अध्यक्ष द्वारा निर्धारित स्थान और समय पर बैठकें करेगा।

(2) अध्यक्ष जब भी उचित समझे तब और बोर्ड के 1/3 सदस्यों से लिखित मांग प्राप्त होने के सात दिन के भीतर बैठक बुलाएगा।

(3) प्रत्येक साधारण बैठक के लिए न्यासी बोर्ड के प्रत्येक सदस्य के पास, डाक में डालने की तारीख से कम से कम 7 दिन का नोटिस, यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत डाक या विशेष संदेशवाहक द्वारा, भेजा जाएगा। इस नोटिस में प्रत्येक आम बैठक की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख होगा और उसके साथ बैठक में विचार-विमर्श किए जाने वाले विषयों की सूची भी संलग्न होगी।

लेकिन, यदि अध्यक्ष किसी ऐसे मामले पर विचार करने के लिए बैठक बुलाता है जिसे वह अत्यावश्यक समझता है तो इसके लिए नोटिस के लिए वह जितना समय उचित समझे उतना समय ही पर्याप्त माना जएगा।

(4) अध्यक्ष, न्यासियों की जिस बैठक में उपस्थित हो, यथास्थिति उस प्रत्येक बैठक की वह अध्यक्षता करेगा। यदि कभी अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपस्थित सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किसी एक सदस्य का चुनाव करेंगे जो बैठक के दौरान अध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(5) न्यासियों की किसी भी बैठक में चार न्यासियों के उपस्थित रहने पर ही कोरम पूरा होगा लेकिन इनमें दो अभिवाताओं के प्रतिनिधि होने चाहिए। अध्यक्ष को न्यासी के रूप में अपने मत के साथ-साथ न कि अपने मत के बदले, निर्णायक मत देने का भी अधिकार होगा। न्यासियों की किसी भी बैठक में, जिसमें कोरम पूरा है, बहुमत का निर्णय ही अन्तिम होगा और न्यासियों को मान्य होगा।

(6) यदि किसी बैठक में उपस्थित न्यासियों की संख्या चार से कम हो, अर्थात् दो प्रतिनिधि प्रबंध पक्ष के और दो कर्मचारी पक्ष के न हों तो अध्यक्ष एक लिखित नोटिस जारी करके मूल बैठक की तारीख से अधिकतम सात दिन बाद तक के लिए बैठक स्थागत कर देगा और न्यासियों को स्थगित बैठक की तारीख, समय और स्थान भी सूचित करेगा और इस स्थगित बैठक में काम का निपटान कर लेना वैध होगा भले ही उपस्थित न्यासियों की संख्या कुछ भी हो।

(7) भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड की जब तक इच्छा हो तब तक अध्यक्ष अपने पद पर रहेगा।

(8) कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की, न्यासी बोर्ड की सदस्यता की अवधि तीन वर्ष होगी जो भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड द्वारा अधिसूचित की गई उनकी नियुक्ति की तारीख से शुरू मानी जाएगी।

लेकिन, ऐसा कोई भी सदस्य उक्त वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक इस पद पर रहेगा, जब तक भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड उसके उत्तराधिकारी सदस्य की नियुक्ति अधिसूचित नहीं करता।

17. यदि कभी किसी न्यासी या न्यासियों की मृत्यु हो जाती है या वह इस्तीफा दे देता है, या न्यासी के रूप में काम करने से इंकार कर देता है या बोर्ड के मत में वह इस रूप में कार्य करने के लिए अनर्ह, असमर्थ या अयोग्य हो जाता है या बोर्ड की नौकरी में नहीं रहता है तो बोर्ड, इन विनियमों के अनुसार किसी दूसरे सक्षम व्यक्ति या व्यक्तियों को नए न्यासी के रूप में नामजद करेगा और ऐसी हर नियुक्ति पर निधि की परिसम्पत्तियां स्वतः ही नए न्यासी या न्यासियों और शेष जीवित या इस पद पर निरन्तर कार्य कर रहे न्यासियों को संयुक्त रूप से सौंप दी जाएगी।

18. कार्य

(1) इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार निधि का प्रबंध करने की जिम्मेदारी न्यासियों पर होगी।

(2) कार्यकारी अधिकारी, जो बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यासियों में से ही एक होगा, न्यासी बोर्ड की ओर से निधि के प्रबंध के बारे में पत्र व्यवहार कर सकता है।

(3) न्यासियों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त किए गए धन (चक और नकदी) की रसीदें और निधि के बैंक के खातों के लिए चक भी, न्यासियों की ओर से लेखा अधिकारी द्वारा या उसके प्रतिनिधि द्वारा जिसे इस प्रयोजन के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा नामिक किया गया है, जारी किए जाएंगे, काटे जाएंगे, हस्ताक्षर किए जाएंगे या पृष्ठांकित किए जाएंगे। यह कार्य न्यासी बोर्ड द्वारा यदि कोई शर्तें निर्धारित की गई हों तो उन शर्तों के अधीन होगा।

19. निधि का निवेश

(1) निधि का सारा धन, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर बताए गए ढंग से और आयकर नियमावली 1962 के नियम 67 के उपबन्धों के अनुसार निवेश किया जाएगा।

(2) किसी निवेश के होने वाली हानि, यदि कोई हो, को छोड़कर, निधि की व्यवस्था के संबंध में होने वाले

सभी खर्च, बोर्ड द्वारा वहन किए जाएंगे और ऊपर बताए गए नुकसान आदि की पूर्ति निधि में से की जाएगी ।

(3) भविष्य निधि में किए गए अंशदान का सारा धन (चाहे यह अंशदान कर्मचारी द्वारा किया गया हो या नियोक्ता द्वारा) या ब्याज में या अन्य किसी तरीके से निधि को प्राप्त हुई पूरी राशि का निवेश कर दिया जाएगा ।

(4) किन्तु भविष्य, निधि को मान्यता दिए जाने की तारीख के बाद कर्मचारियों द्वारा किए गए अंशदान का और इस प्रकार के अंशदानों की संचित राशि पर प्राप्त ब्याज का निवेश जिन प्रतिभूतियों में किया जाय, सभी मामलों में वे प्रतिभूतियां, पूंजी और ब्याज दोनों के ही मामले में, भारत में देय हों ।

20. ब्याज का लेखा

निधि के बहीखातों में ब्याज का लेखा भी रखा जाना चाहिए और वित्त वर्ष के दौरान निधि के निवेशों पर या बैंक में जमा की गई राशियों पर प्राप्त ब्याज इस लेखे में जमा किया जाएगा और निवेश पर या बैंक में जमा राशियों पर हुए खर्चों और आकस्मिक प्रभारों को भी इसी लेखे में नामें डाला जाएगा ।

21. आरक्षित निधि लेखा

निधि के बहीखातों में आरक्षित निधि लेखे भी रखे जाएंगे जिसमें प्रतिभूतियों को बेचने से प्राप्त लाभ और निधि में विनियोजित या जब्त की गई राशि जमा की जाएगी । प्रतिभूतियों के बेचने के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान को आरक्षित निधि लेखे के नामे ही डाला जाएगा ।

22. ब्याज

(1) न्यासी बोर्ड, ब्याज और आरक्षित निध लेखों की पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड से परामर्श करने के बाद प्रत्येक सदस्य के लेखे में उस दर से ब्याज जमा करेगा जो न्यासियों द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए निर्धारित की जाय । इस प्रकार जमा या नामे डाले गए ब्याज की कुल राशि, अगले वित्त वर्ष के ब्याज लेखे में डाल दी जायगी ।

(2) ब्याज, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से निम्नलिखित तरीके से जमा किया जायगा :—

(क) पिछले वर्ष की 31 मार्च तक सदस्य की जमा राशि घटा चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि पर बारह महीने का ब्याज ।

(ख) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशियों पर, चालू वर्ष की पहले अप्रैल से लेकर राशि निकालने के महीने से पिछले महीने के आखिरी दिन तक का ब्याज ।

(ग) चालू वर्ष के दौरान, सदस्य के लेखे में जमा पूरी राशि पर, जमा किए जाने के महीने की पहली तारीख से चालू वर्ष के 31 मार्च तक का ब्याज ।

बशर्ते कि सदस्य के नाम जमा राशि जब देय हो गई हो तो उस पर ब्याज केवल चालू वर्ष के आरंभ होने से या फिर सदस्यता शुरू होने की तारीख से भुगतान प्राधिकृत किए जाने की तारीख तक जमा किया जाएगा ।

23. तुलन-पत्र और लेखा-परीक्षा

प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च के तुरन्त बाद एक तुलन-पत्र 31 मार्च की स्थिति के अनुसार तैयार किया जाएगा । तुलन-पत्र बनाते समय निवेशों का मूल्यांकन उनकी लागत पर ही किया जाएगा और मूल्य वृद्धियां मूल्यह्रास को हिसाब में नहीं लिया जाएगा । तुलन-पत्र और लेखों की लेखा-परीक्षा, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के लेखा-परीक्षकों द्वारा समय-समय पर की जायगी । 31 मार्च तक का तुलन-पत्र फार्म-5 में तैयार किया जाएगा ।

24. वार्षिक विवरण

न्यासी बोर्ड, किसी भी सदस्य को आवश्यकता पड़ने पर, वर्ष में एक बार, पर एक बार से अधिक नहीं, निधि में सदस्य की जमा कुल राशि के बारे में बताएगा । जिस महीने तक का उसका लेखा लिख दिया गया है उस महीने के अंत में उसकी जो राशि होगी वह उसे बताई जाएगी । यह सदस्य देख लें कि वार्षिक विवरण ठीक है या नहीं और यदि कोई भूल हो तो उसके बाबत, विवरण प्राप्त होने से एक महीने के अंदर न्यासी बोर्ड को सूचित किया जाए । अभिदाता को, वर्ष का वार्षिक लेखा-विवरण फार्म 6 में दिया जाएगा ।

24 क. वार्षिक अंशदान कार्ड

प्रत्यक नियोक्ता के पास जितने भी सदस्य नियुक्त हों उनके बारे में अंशदान कार्ड की अवधि समाप्त होने की तारीख से एक महीने के अन्दर, वह लेखा अधिकारी को फार्म 7 और 8 में वार्षिक अंशदान कार्ड और वार्षिक अंशदान विवरण भेजेगा ।

25. किन परिस्थितियों में आहरणों की अनुमति दी जाएगी

1. भविष्य निधि का कार्यकारी अधिकारी नीचे लिखी परिस्थितियों में आहरणों की अनुमति दे सकता है :—

(क) कर्मचारी की या उसके परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के संबंध में हुए खर्चे के भुगतान के लिए ।

(ख) नीचे लिखे मामलों में, कर्मचारी पर वास्तव में आश्रित उसके किसी बच्चे की उच्चतर शिक्षा संबंधी खर्च पूरा करने के लिए, इसमें, जहां भी आवश्यक हो वहां, बच्चे की यात्रा संबंधी व्यय भी शामिल होगा, अर्थात्:—

(i) हाई स्कूल स्तर के बाद, शैक्षणिक, तकनीकी, वृत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में, भारत के बाहर शिक्षा, और

(ii) हाई स्कूल स्तर के बाद भारत में अभियांत्रिकी, इंजीनियरी या किसी अन्य तकनीकी या विशेषज्ञतापूर्ण पाठ्यक्रमों में शिक्षा, बशर्ते कि अध्ययन का पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम का न हो ।

(ग) कर्मचारी की या उसके परिवार के किसी सदस्य की, भारत के बाहर के किसी स्थान की यात्रा के खर्चे के भुगतान के लिए ।

(घ) विवाह, अन्त्येष्टि या ऐसे उत्सवों सम्बन्धी खर्चों के भुगतान के लिए जिन्हें कर्मचारी को अपने धर्म के अनुसार सम्पन्न करना लाजिमी हो ।

(ङ) मकान बनाने या स्थल खरीदने या मकान और स्थल खरीदने संबंधी खर्च पूरा करने के लिए; बशर्ते कि कर्मचारी न्यासियों को इस आशय का वचन दे कि ऐसे मकान या यथास्थिति स्थल या मकान और स्थल को वह ऋणग्रस्त या हस्तान्तरित नहीं करेगा ।

(च) कर्मचारी की या उसकी पत्नी की जीवन बीमा पालिसियों की किस्तें देने के लिए बशर्ते कि पालिसी निधि के न्यासियों को समनुदेशित की गई हो या उनके स्वविवेक पर उनके पास जमा की गई हो और किस्तों के लिए बीमा कम्पनी द्वारा दी गई रसीदें, समय-समय पर आयकर अधिकारी द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए न्यासियों को सौंप दी जाएं ।

(छ) अपनी सरकारी ड्यूटी का पालन करने में उसके द्वारा किए गए या किया गया भासित हुए किसी कृत्य के बारे में उसके विरुद्ध लगाए गए किसी आरोप के बारे में कर्मचारी द्वारा दायर की गई कानूनी कार्रवाई में अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के खर्चे की पूर्ति के लिए या उसके किसी सरकारी कदाचार के संबंध में किसी विधि न्यायालय में जब नियोक्ता द्वारा उस पर अभियोग चलाया गया हो तो अपने बचाव के खर्चे की पूर्ति के लिए ।

किन्तु इस खण्ड के अन्तर्गत पेशगी ऐसे कर्मचारी को अनुज्ञेय नहीं होगी जो अपनी सरकारी ड्यूटी में असम्बद्ध किसी मामले के संबंध में या सेवा संबंधी किसी शर्त के बारे में या उस पर लगाए गए किसी दण्ड के बारे में किसी विधि न्यायालय में कानूनी कार्रवाई दायर करता है ।

स्पष्टीकरण —उप-विनियम (1) के प्रयोजन के लिए "परिवार" का अर्थ है कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित कोई व्यक्ति अर्थात् कर्मचारी की पत्नी, विधि सम्मत बच्चे, सौतेले बच्चे, माता-पिता, बहिनें और अवयस्क भाई ।

(2) भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि से अग्रिम लेने के लिए आवेदन फार्म 9 में किया जाएगा ।

26 विभिन्न प्रयोजनों के लिए आहरण संबंधी शर्तें

(1) विनियम 25 के उप विनियम (1) के खण्ड (घ) में यथा निर्दिष्ट विवाह पर खर्चे के संबंध में आहरणों की राशि छ महीने के वेतन से या कर्मचारी के लेखे में जमा छूट प्राप्त अंशदान तथा उस पर छूट प्राप्त ब्याज की कुल राशि, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी ।

(2) नियम 25 के उप विनियम (1) के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आहरण नीचे लिखी शर्तों के अधीन होगा :—

(क) आहरण की राशि, कर्मचारी के खाते में जमा राशियों के आधे से या मकान या स्थल की अथवा दोनों की वास्तविक कीमत से, जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी ।

(ख) कर्मचारी ने 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो या आगामी 10 वर्षों में वह सेवा निवृत्त होने वाला हो ।

(ग) मकान का निर्माण, आहरण से छ: महीने के भीतर शुरू हो जाना चाहिए और निर्माण शुरू किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरा हो जाना चाहिए ।

(घ) यदि आहरण, मकान या मकान के लिए स्थल खरीदने अथवा दोनों के लिए किया गया हो तो आहरण की तारीख से छ: महीने के भीतर खरीद कर ली जानी चाहिए ।

(ङ) यदि आहरण, मकान के निर्माण या खरीद के प्रयोजन के लिए पहले लिए गए ऋण को चुकाने के लिए किया गया हो तो आहरण किए जाने से तीन महीनों के भीतर ऋण चुका दिया जाना चाहिए ।

(च) जहां आहरण, मकान के निर्माण के लिए हो, वहां दो या अधिक (किन्तु चार से अधिक नहीं) बराबर-बराबर किस्तों के आहरण की अनुमति दी जाएगी और पहले किए गए आहरण का उपयोग वास्तव में कर लिए जाने के बाबत, न्यासियों द्वारा सत्यापन कर लिए जाने के बाद ही परवर्ती किस्तों की अनुमति दी जाएगी ।

(छ) आहरण की अनुमति उसी हालत में दी जाएगी जब मकान या स्थल ऋण ग्रस्त न हो और ऐसे भवन, या मकान या जमीन की संयुक्त सम्पत्तियों में हिस्सा खरीदने के लिए आहरण की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसका स्वामित्व बंटा हुआ हो ।

(ज) आहरण की गई राशि यदि मकान या स्थल या दोनों की खरीद या निर्माण की वास्तविक

कीमत से अधिक हो या यदि राशि का आहरण जिस प्रयोजन के लिए किया गया है उस प्रयोजन के लिए उसका उपयोग न किया जाए तो यथा-स्थिति अधिक राशि या समूची राशि फौरन ही एकमुश्त न्यासियों को लौटा दी जाएगी। लौटाई गई राशि भविष्य निधि में कर्मचारी के लेखे में जमा की जाएगी।

(3) विनियम 25 के उप विनियम (1) के खण्ड (छ) में बताए गए प्रयोजनों के लिए आहरण की राशि, तीन महीने के वेतन या रु० 500/- जो भी अधिक हो, से ज्यादा नहीं होगी, किन्तु किसी भी हालत में कर्मचारी के लेखे में जमा राशि के आधे से अधिक नहीं होगी।

(4) विनियम 25 के उप-विनियम (1) में बताए गए किसी अन्य प्रयोजन के लिए आहरण की राशि, तीन महीने के वेतन या कर्मचारी के खाते में जमा छूट प्राप्त अंशदान तथा छूट प्राप्त ब्याज की कुल संचित राशि, दोनों में जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(5) इस विनियम के प्रयोजन के लिए "वेतन" का अर्थ है, आहरण मंजूर किए जाने के समय कर्मचारी जिस वेतन का हकदार है वह वेतन या विनियम (2) के उप-विनियम (6) में उल्लिखित कर्मचारी के मामले में (यदि कोई वेतन वृद्धियां हों तो उन वेतन वृद्धियों समेत) वह वेतन जो यदि वह संघ की सशस्त्र सेनाओं में भरती नहीं हुआ होता या राष्ट्रीय सेवा में नहीं लिया गया होता या राष्ट्रीय सेवा में नौकरी में नहीं गया होता तो उसे मिलता होता।

27. दूसरा आहरण

(1) नीचे दिए गए उप-विनियम (2) के अलावा दूसरे आहरण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि पहले आहरण की पूरी राशि चुका नहीं दी जाती।

(2) आहरण के लिए निम्न स्थितियों में अनुमति दी जा सकती है :—

(क) विनियम 25 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ङ) या खंड (च) के उल्लिखित किसी भी प्रयोजन के लिए भले ही उसी कार्य के लिए पहले आहरण की गई राशि चुकता न की हो;

(ख) विनियम 25 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए भले ही विनियम 25 के उक्त उप-विनियम (1) के खण्ड (ङ) या (च) में उल्लिखित किसी कार्य के लिए पहले आहरण की गई राशि चुकता न की गई हो।

28. आहरण की गई राशियों की चुकौती

(1) जहां विनियम 25 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ङ) या खण्ड (च) में बताए गए प्रयोजन के लिए आहरण की अनुमति दी गई हो वहां आहरण की गई राशि को चुकाना आवश्यक नहीं है किन्तु विनियम 26 के उप- विनियम (2) के खण्ड (ज) के उपबंध लागू होंगे।

(2) जहां नियम 25 के उप-विनियम (1) के खण्ड (घ) में बताए अनुसार विवाहों के संबंध में आहरण की अनुमति दी गई हो वहां आहरण की गई राशि, अधिक से अधिक अड़तालीस बराबर-बराबर मासिक किस्तों में चुकाई जाएगी।

(3) जहां किसी अन्य प्रयोजन के लिए आहरण की अनुमति दी गई हो वहां आहरण की गई राशि अधिक से अधिक चौबीस बराबर-बराबर मासिक किस्तों में चुकाई जाएगी।

(4) नियोक्ता ऊपर बताई गई किश्तें कर्मचारी के वेतन में से काट लेगा और निधि के न्यासियों को अदा करेगा। ये कटौतियां, आहरण के बाद वेतन के दूसरे महीने के भुगतान से आरंभ होंगी या यदि कर्मचारी बिना वेतन के छुट्टी पर है तो उस स्थिति में ये कटौतियां उसके कार्यभार ग्रहण करने के बाद दूसरे महीने के वेतन के भुगतान से आरंभ होंगी।

29. आहरण की गई राशि यदि चुकाई न जाय तो उसे आय समझा जाएगा :—

विनियम 28 के उप-विनियम (2) या उप-विनियम (3) के अनुसार देय किश्तें न चुकाए जाने या रकम का आहरण जिस प्रयोजन के लिए किया गया हो उसके लिए उसका उपयोग न किए जाने के मामले में आयकर आयुक्त अपने विवेक से इस आशय के आदेश दे सकेगा कि आहरण की गई राशि या बकाया राशि को कर्मचारी की उस वर्ष की कुल आय में जोड़ दिया जाए जिस वर्ष में यह चूक हुई हो या जिस वर्ष में अंतिम रूप से यह मान लिया गया हो कि रकम का आहरण जिस प्रयोजन के लिए किया गया था उस प्रयोजन के लिए रकम खर्च नहीं की गई है और आयकर अधिकारी तदनुसार उस कर्मचारी के आयकर का निर्धारण करेगा।

30. सेवा निवृत्ति से पहले ली गई छुट्टी के दौरान आहरण :—

विनियम 25 और 29 में किसी बात के रहते हुए, भविष्य निधि के न्यासियों को इस बात की छूट होगी कि यदि कोई कर्मचारी सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी लेता है तो उस कर्मचारी के खाते में जमा राशि की नब्बे प्रतिशत राशि के आहरण की अनुमति दे दें, बशर्ते कि अपनी छुट्टी की समाप्ति पर यदि वह पुनः ड्यूटी पर आ जाता है तो आहरण की गई राशि को वह निधि के विनियमों द्वारा अनुज्ञेय दर पर ब्याज सहित लौटा देगा।

31. सदस्य के लेखे का अन्य सरकार/उपक्रम को अन्तरण :—

यदि कोई सदस्य स्थायी तौर से बोर्ड की नौकरी छोड़ देता है और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की नौकरी

में या किसी ऐसी फर्म या प्रतिष्ठान की नौकरी मे चला जाता है जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1925 या आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी भविष्य निधि के अन्तर्गत आता है तो उसके लेखे में जमा कुल राशि उसकी इच्छा से और नए नियोक्ता की सहमति से उस नियोक्ता को अन्तरण कर दी जाएगी। लेखे के अन्तरण के लिए आवेदन पत्र फार्म 10 मे दिया जाए।

32. ऐसी परिस्थितियां जिनमे निधि की संचित राशि देय हो जाती है :—

(1) जब कोई सदस्य, सदस्यता के 15 वर्ष पूरे करने के बाद बोर्ड की नौकरी को स्वेच्छा से छोड़ देता है या कदाचार के अलावा किसी अन्य कारण से, बोर्ड द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं तो निधि में उसके नाम जमा राशि उसको दे दी जाएगी।

(2) यदि उपरोक्त उप-विनियम (1) मे बताई गई परिस्थितियों में कोई सदस्य, सदस्यता के 15 वर्ष पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ देता है तो उसके अभिदान की राशि तथा ब्याज और नीचे दी गई प्रतिशतता के अनुसार बोर्ड के अंशदान की राशि का और उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान उस सदस्य को कर दिया जाएगा। बोर्ड के अंशदान और ब्याज की शेष राशि को आरक्षित निधि लेखों मे विनियोजित कर दिया जाएगा।

सदस्यता की अवधि	अंशदान की प्रतिशतता और उस पर देय ब्याज
3 वर्ष से कम	25 प्रतिशत
3 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम	50 प्रतिशत
5 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम	75 प्रतिशत
10 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 15 वर्ष से कम	85 प्रतिशत
15 वर्ष या उससे अधिक	100 प्रतिशत

टिप्पणी :—(i) ऐसे कर्मचारी जो इस विनियमावली के विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत सदस्य मान लिए गए हैं उनके मामले मे इस विनियम के उप-विनियम (1) और (2) के प्रयोजन के लिए सदस्यता में पिछले नियोक्ता के अधीन की गई सेवाएं भी शामिल हैं।

(ii) जिन शिक्षुओं को नियमित कर्मचारियों के रूप मे नियुक्त कर दिया गया हो उनके मामले में शिक्षुता की अवधि को इस विनियम के अधीन अर्हक सेवा नहीं माना जाएगा।

(iii) बोर्ड द्वारा अपने कर्मचारियों की संख्या कम कर दिए जाने पर जब कोई सदस्य नौकरी छोड़ता है या वह हमेशा के लिए पंगु हो जाता है या उसकी सेवा-निवृत्ति की आयु हो जाती है या उसकी नौकरी की ठेका अथवा अवधि समाप्त हो जाती है तो निधि में जमा पूरी राशि उसको दी जाएगी।

(3) अभिदाता को अपने हिसाब मे जमा राशि के अन्तिम आहरण के लिए आवेदन-पत्र फार्म-II में दिया जाना चाहिए।

33. नौकरी से बरखास्तगी :—

(1) केवल उन स्थितियों के अलावा, जहां कर्मचारी को कदाचार के कारण बरखास्त कर दिया गया हो, या निधि के विनियमों में इस हेतु विहित सेवा की अवधि पूरी होने से पहले ही कर्मचारी खराब स्वास्थ्य के कारणों के अलावा अन्य किसी कारण से नौकरी छोड़ देता है नियोक्ता को निधि से कोई भी राशि वसूल करने का अधिकार नही होगा ;

परन्तु ऐसे मामलों में नियोक्ता द्वारा की गई वसूलियां, उसके द्वारा इस निधि के विनियमों के अनुसार कर्मचारी के वैयक्तिक खाते में किए गए अंशदानों और इन अंशदानों के संबंध में जमा किए गए ब्याज और इनकी संचित राशियों तक सीमित रहेंगी।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) द्वारा प्रदत्त जब्ती के अधिकार का प्रयोग करने के पहले संबंधित व्यक्ति को लिखित रूप से नोटिस देकर इस बात का कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि जब्ती क्यों न की जाय और जब्ती की राशि का निर्धारण सदस्य द्वारा किए गए आवेदन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा;

(3) उपर्युक्त उप-विनियम (1) के अधीन जब्त की गई राशि पर पुनर्विचार भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड कर्मचारी अंशदान भविष्य निधि के न्यास द्वारा, अपने आप ही या नियोक्ता के या सदस्य के अनुरोध पर किया जा सकेगा;

(4) उपर्युक्त उप-विनियम (1) के अधीन सदस्य के व्यक्तिगत लेखे से जब्त की गई राशि की निधि के आरक्षित लेखे में जमा कर दिया जाएगा :।

34. मृत सदस्य को जमा राशि का भुगतान :—

सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, उसकी सेवा की अवधि भले ही कितनी ही रही हो, कार्यकारी अधिकारी सदस्य की मृत्यु के समय उसके नाम में जमा सारी राशि का भुगतान इस

विनियमावली के उपबंधों के अनुसार करेगा । मृत व्यक्ति की संचित राशि का भुगतान परिवार के सदस्य (सदस्यों) नामांकित व्यक्ति (व्यक्तियों) को किए जाने के लिए फार्म-12 में आवेदन करना होगा ।

35. मृत सदस्य की संचित राशि का भुगतान किसे किया जाएगा :—

मृत सदस्य को निधि से देय राशि का भुगतान नीचे लिखे अनुसार किया जाएगा :—

(क) यदि विनियम 8 के उपबंधो के अनुसार सदस्य द्वारा अपने परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया नामांकन अस्तित्व में हो तो निधि में सदस्य के नाम जमा राशि या उसके जितने भाग के संबंध में नामांकन हो उतना भाग उसके नामांकित व्यक्ति या व्यक्तियों को, नामांकन में बताए गए अनुपात में देय हो जाएगा ।

(ख) यदि उसके परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में इस प्रकार का नामांकन अस्तित्व में नहीं है या यदि निधि में उसके नाम जमा राशि के केवल एक भाग के बारे में ही नामांकन हो तो, यथा-स्थिति समूची राशि या उसका वह भाग जिसके संबंध में नामांकन नहीं है, उसके परिवार के सदस्यों को बराबर-बराबर हिस्सों में देय होगी ।

किन्तु निम्नलिखित को कोई हिस्सा देय नहीं होगा :—

(i) जिन पुत्रों ने विधिक वयस्कता प्राप्त कर ली हो;

(ii) मृत पुत्र के जिन पुत्रों ने विधिक रूप से वयस्कता प्राप्त कर ली हो;

(iii) विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हों;

(iv) मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियां जिनके पति जिन्दा हों ।

यदि (i), (ii), (iii), और (iv) में बताए गए व्यक्तियों के अलावा परिवार का कोई अन्य सदस्य हो तो मृत पुत्र की विधवा या विधवाओं और बच्चे या बच्चों को आपस में बराबर बराबर भागों में केवल उतना हिस्सा ही मिलेगा जितना कि उसे, सदस्य की मृत्यु के बाद जीवित रहने और सदस्य की मृत्यु के समय विधिक वयस्कता प्राप्त न होने की स्थिति में मिलता ।

(ग) जहां किसी मृत सदस्य के मामले में उपरोक्त (क) और (ख) के उपबंध लागू न होते हों वहां समस्त रकम उन व्यक्तियों को देय होगी जो उसके लिए कानूनी तौर पर हकदार हों ।

टिप्पणी :—इस विनियम के प्रयोजन के लिए, सदस्य के मरणोपरान्त जन्मे बच्चे को, यदि जीवित जन्मा हो तो, सदस्य की मृत्यु से पहले जन्मे जीवित बच्चे की भांति ही माना जाएगा ।

36. कुर्की, समनुदेशन, आदि से सुरक्षा :—

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 10 के उपबंधों के अनुसार किसी भी सदस्य के लेखे में जमा राशि, चाहे वह सदस्य सेवा में हो या सेवा-निवृत्त हो चुका हो या उसकी मृत्यु हो गई हो, किसी भी समनुदेशन, ऋणभार या न्यायालय की डिग्री से संरक्षित रहेगी और यह संरक्षण मृत सदस्य के नामांकित व्यक्तियों या उत्तराधिकारियों को या विधिक प्रतिनिधियों को भी मिलेगा ।

37. परिवार पेंशन और जमा-राशि से सम्बद्ध बीमा योजना के लाभ :—

बोर्ड द्वारा जो भी कर्मचारी परिवार पेंशन और कर्मचारी की जमा राशि से सम्बद्ध बीमा योजनाएं बनाई जाएं, निधि के सदस्य उन योजनाओं का लाभ पाने के हकदार होंगे ।

38. मरणोपरान्त सहायता निधि के लाभ :—

मृत सदस्य के नामांकित व्यक्तियों को या उत्तराधिकारियों को आर्थिक सहायता देने के लिए मरणोपरान्त सहायता निधि की स्थापना की जाएगी ताकि मृत सदस्य के नामांकित व्यक्तियों या उत्तराधिकारियों को कम से कम 750/— रु० की सहायता निश्चित रूप से दी जा सके । निधि के आरक्षित और जब्ती लेखे में समय-समय पर आवश्यक राशि इस निधि में अंतरित की जाएगी । मरणोपरान्त सहायता निधि का लाभ, ऐसे मृत सदस्यों के नामांकित व्यक्तियों तथा उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा, जिनका वेतन (अर्थात मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता, जिसमें खाद्य संबंधी किसी भी रियायत का नकद मूल्य शामिल है, और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो) उनकी मृत्यु के समय 500/— रु० प्रति मास से अधिक न हो। मृत्योपरान्त सहायता निधि से सहायता के लाभ की मात्रा का निर्धारण नीचे लिखी रीति से किया जाएगा :—

"मृत सदस्य के खाते में जमा राशि यदि 750/— रु० से कम हो तो जितनी राशि कम हो उतनी राशि मरणोपरान्त सहायता निधि से, उसके नामांकित व्यक्तियों या उत्तराधिकारियों को उसी अनुपात में दे दी जाएगी जिस अनुपात में उन्हें दावे की राशि मिलती । जो मृत सदस्य 55 वर्ष के आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद और अधिवर्षिता पर पूरे लाभों का प्राप्त करने के बाद निधि का सदस्य बना हो उसके नामांकित व्यक्तियों या उत्तराधिकारियों को मरणोपरान्त सहायता निधि से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी ।"

ज० स० सिघोता,
सचिव,
भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड,
चण्डीगढ़ ।

फार्म—1

घोषणा और नामांकन फार्म

(विनियम 5(3) और 8(3) देखें)।

1 नाम——————————————————अंशदायी भविष्य निधि खाता सं०——————————

2 पदनाम——————————————————प्रभाग——————————

3. पिता का नाम——————————————————भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड में नियुक्ति की तारीख——————————

4. पति का नाम (केवल विवाहित महिला के मामले में)

5. धर्म——————————　6. जाति

7. पुरूष/स्त्री　(ऊंचाई——————फुट——————इंच)

8. वैवाहिक स्थिति——————————

(क्या वह विवाहित है, अविवाहित है, विधवा या विधुर है)

9. आयु——————————जन्म तिथि——————————

10. पहचान चिह्न

11. स्थायी पता :—

गांव——————————थाना——————————

डाकखाना——————————जिला——————————

राज्य——————————

मैं घोषणा करता हूं कि इससे पूर्व मैं सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि का सदस्य नहीं रहा हूं (विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है)

नियोक्ता——————————

सामान्य भविष्य निधि खाता सं०——————————

टोकन सं०

अवधि——————————से

मैं निधि में जमा रकम के देय होने से पहले या देय हो जाने पर भी उसका भुगतान देने से पहले अपनी मृत्यु हो जाने की स्थिति में नीचे बताये व्यक्तियों को उक्त राशि प्राप्त करने के लिये एतद्द्वारा मनोनीत करता हूं। यह राशि उक्त व्यक्तियों में नीचे उनके नाम के सामने बताये अनुसार बांट दी जाए।

नामित व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम और पते	सदस्य के साथ संबंध	नामित व्यक्ति की आयु	कितना हिस्सा दिया जाना है।	आकस्मिक घटनाएं जिनके घटने पर नामांकन अवैध हो जाएगा।
1.				
2.				
3.				
4.				

टिप्पणी :—

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है और यदि बाद में मेरा कोई परिवार हो जाता है तो उपर्युक्त नामांकन रद्द माना जाएगा।

2 प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पिता/माता/बहन (बहनें) मुझ पर आश्रित है।

तारीख——————————दिन——————————19

सदस्य के हस्ताक्षर
या
उसके दायें/बायें हाथ के अंगूठे
का निशान

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री——————————ने जो भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड में——————————नौकरी कर रहे है, सभी प्रविष्टियां पढ़ कर और उपर्युक्त घोषणा पर मेरे सामने हस्ताक्षर किये हैं।

मैंने प्रविष्टियां पढ़कर उसे सुना दी है ।

2—प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/बिजली बोर्ड का पेंशन भोगी और सेवा निवृत्त व्यक्ति नहीं है ।

3—प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन के छ मास तक लगातार नौकरी कर ली है या छ मास या उससे कम की अवधि के दौरान उसने वास्तव में 120 दिन काम किया है ।

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

जो लागू न हो उसे काट दें

फार्म—2

मास————————————19————————————में पहली बार कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि की सदस्यता के योग्य कर्मचारियों की विवरणी ।

(विनियम 5(5) देखें)

(इसे वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के पास भेजा जाए)

कार्यालय का नाम और पता

क्रम सं०	खाता सं०	कर्मचारी का नाम (साफ अक्षरों में)	पिता का नाम/पति का नाम (विवाहित महिला के मामले में)	आयु
1	2	3	4	5

पुरुष/स्त्री	सदस्यता के लिये पात्रता की तारीख
6	7

पहले की गई नौकरी की कुल अवधि (निधि की सदस्यता प्राप्त करने की तारीख को सेवा भंग की जो अवधियां हों वे इसमें सम्मिलित नहीं होंगी ।	अभ्युक्ति
8	9

नियोक्ता के हस्ताक्षर,
तथा कार्यालय की मोहर

फार्म—3

[विनियम-II (3) देखें]

————————————मास के लिय अंशदान का विवरण

प्रभाग/कार्यालय का नाम

अभिदाताओं की कुल सं०

चालू अवधि————————से————————तक

अंशदान की दर

उन सदस्यों की संख्या जो स्वेच्छा से, निर्धारित दर से अधिक अंशदान कर रहे ह ।

अभिदाताओं की कुल संख्या	मजदूरी/वेतन जिसके आधार पर अंशदान की वसूली की जानी है	अंशदान की राशि-वेतन बिलों/भुगतान रजिस्टर में की गई वसूली के अनुसार	
		मजदूरों/कर्मचारियों का हिस्सा	नियोक्ता का हिस्सा

	अग्रिम भुगतान की वापसी	जोड़	भारतीय स्टेट बैंक ,नंगल का चैक/बैंक ड्राफ्ट सं० और तारीख	राशि	अभ्युक्तियां
पिछले मास की विवरणी के अनुसार संख्या					
(±) नए अभिदाताओं की संख्या, जिनकी विस्तृत जानकारी संलग्न ।					
(—) उन अभिदाताओं की सं० जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है, विस्तृत जानकारी संलग्न है					
कुल जोड़					
(1) इस फार्म के ऊपर दाई ओर दी गई संख्याओं के साथ इसका मेल खाना चाहिए					

नियोक्ता या प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर

फार्म—4.

विनियम II(3) देखें]

————————————मास की विवरणी

कार्यालय का नाम————————————

क्रम सं०	खाता सं०	सदस्य का नाम	चालू अवधि में भुगतान की गई मजदूरी, प्रतिधारण भत्ते (अगर कोई हैं) और महंगाई भत्ता जिसमें खाद्य रियायत की नकद राशि भी सम्मिलित है ।	कर्मचारी का अंशदान	नियोक्ता का अंशदान	खाना 5 और 6 का जोड़	अग्रिम राशि की वसूली
1	2	3	4	5	6	7	8
(क)							
(ख)							
(ग)							

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

फार्म—5

(विनियम 23 देखें)

————————19————————को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि, न्यास, नंगल टाउनशिप का तुलन पत्र

देयतायें	रूपए	परिसम्पत्तियां	रूपए
1. कर्मचारियों का हिस्सा	————————	1. डाकघर में पंचवर्षीय आवधिक जमा में शेष	

2. नियोक्ता का हिस्सा

3. नियोक्ता का हिस्सा जो जब्त हुआ
(आरक्षित निधि लेखा)

4. (1) वर्ष————के लिए देय ब्याज

5. (2) पर वर्ष————के लिए देय ब्याज

6. (3) पर वर्ष————के लिए देय ब्याज
(आरक्षित निधि लेखा)]

7. अन्तर ————————

2. भारत सरकार की विशेष जमा योजना में शेष

3. डाकघर बचत खाते में शेष ————————

4. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में शेष ————————

5. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में शेष

6. केन्द्रीय /राज्य सरकारों की गारंटी शुदा प्रतिभूतियों में शेष

7. भारतीय स्टेट बैंक के चालू खाते मे शेष

8. अन्तर ————————

हस्ताक्षरित
लेखा अधिकारी (अंशदायी भविष्य निधि वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी का कार्यालय, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड।

निम्न द्वारा हस्ताक्षर किए जाऐं :
(1) प्रबंध बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य
(3) अभिदाता

फार्म—6

वर्ष————————————का वार्षिक लेखा-विवरण

ब्याज की दर ————————————वार्षिक

(विनियम 24 देखें)

लेखा सं०	नाम	अवशेष	वर्ष के दौरान अंशदान			आहरण
			कर्मचारी का हिस्सा	नियोक्ता का हिस्सा	खाना (4 और 5) का कुल जोड़	
1	2	3	4	5	6	7

कर्मचारी के हिस्से पर ब्याज	नियोक्ता के हिस्से पर ब्याज	खाना (8 और 9) का कुल जोड़	अंतशेष
8	9	10	11

लेखा अधिकारी/अंशदायी भविष्य निधि

अनुदेश/टिप्पणी

1. अगर पहले नामांकन नहीं भरा है तो नामांकन भर दें।

2. अगर कर्मचारी, पिछले नामांकन में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसे निर्धारित फार्म में परिशोधित नामांकन देना चाहिए।

3. नामांकन देने के समय अपना परिवार न होने की स्थिति में जहां कर्मचारी ने अपने परिवार के सदस्य-सदस्यों के अलावा किन्हीं दूसरे व्यक्ति/किन्हीं दूसरे व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन किया था, लेकिन बाद में उसका अपना परिवार हो गया है, तो उसे निर्धारित फार्म में फिर से नामांकन करना चाहिए।

4. विवरण नहीं होने के बारे में कमचारी को अपनी पूरी संतुष्टि कर लेनी चाहिए । यदि विवरण में कोई गल्ती हो, तो कर्मचारी को चाहिए कि वह विवरण प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर ये गलतियां, लेखा अधिकारी, अंशदायी भविष्य निधि, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लखा अधिकारी का कार्यालय, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, नंगल टाउनशिप की जानकारी में लाएं ।

फार्म—7

————————वर्ष के लिए अंशदान कार्ड

[विनियम 24 (क) देखें]

1- लेखा स० ————————

2. नाम ————————

3. पिता का नाम ————————

अंशदान

भुगतान का महीना	सदस्य का अंशदान	नियोक्ता का अंशदान	जोड़	अग्रिम राशि की वापसी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अप्रैल					
मई					
जून					
जुलाई					
अगस्त					
सितम्बर					
अक्तूबर					
नवम्बर					
दिसम्बर					
जनवरी					
फरवरी					
मार्च					
जोड़:					

जांच की और सही पाया ।
(वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी,
भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड का प्राधिकृत अधिकारी)

नियोक्ता के हस्ताक्षर या कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

फार्म—8

[विनियम 24 (क) देखें]

————————वर्ष के लिए संचित वार्षिक अंशदान का विवरण

अंशदान कार्ड की क्रम सं०	खाता सं०	सदस्य का नाम	कर्मचारी कामगार का अंशदान	नियोक्ता का अंशदान	अग्रिम राशि की वापसी	जोड़ (4+5+6)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल जोड़ :							

1	2	3	4	5	6	7	8

भेजी गई रकम का मिलान

क्रम सं०	भुगतान का महीना/वर्ष	अंशदान की राशि (जिसमें अग्रिम राशि की वापसी भी शामिल है)
1. अप्रैल		
2. मई		
3. जून		
4. जुलाई		
5. अगस्त		
6. सितम्बर		
7. अक्तूबर		
8. नवम्बर		
9. दिसम्बर		
10. जनवरी		
11. फरवरी		
12. मार्च		

फार्म—9

भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड-कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि से पेशगी के लिए आवेदन पत्र

[विनियम 25 (2) देखें]

1. अभिदाता का नाम
2. पिता का नाम
3. पद
4. किस कार्यालय से संलग्न है
5. अंशदायी भविष्य निधि खाता सं०————————
6. वर्तमान वेतन (मूल)————————
7. पेशगी की राशि जो————————रुपए की————————मासिक किश्तों में चुकाई जानी है।
8. सदस्यता की तारीख/मास————————
9. सेवा-निवृत्ति की तारीख————————
10. (1) पेशगी किस कार्य के लिए चाहिए;
    (2) क्या सदस्य पूरी तरह आवेदक पर आश्रित है या नहीं————————
    (3) पेशगी के लिए आवेदन किन नियमों के अन्तर्गत किया गया है————————
11. (1) 31 मार्च, 1981 को अभिदाता के खाते में जमा शेष (कर्मचारी का हिस्सा)
    (2) अप्रैल से————————तक कर्मचारी के अंशदान का ब्यौरा।

मास	राशि
अप्रैल	
मई	
जून	

(3) जोड़ (1) जमा (2)

12. पेशगी बैंक ड्राफ्ट से चाहिए या चैक द्वारा, अगर बैंक ड्राफ्ट द्वारा चाहिए तो भारतीय स्टेट बैंक की उस शाखा का नाम बताएं जिसके नाम ड्राफ्ट चाहिए (केवल बाहरी व्यक्तियों के लिए)
13. 31 मार्च के बाद लौटाई गई पेशगी अगर कोई है,

14. आवेदन कर्ता द्वारा पिछले तीन वर्षों में ली गई पेशगियां जिसमें उन पेशगियों को लेने के कारण और मासिक वसूली की दर भी बताएं ।

15. पेशगियों की बकाया राशि का ब्यौरा। ऐसी प्रत्येक पेशगी लेने के कारण, आवेदन कर्त्ता पर पेशगी की बकाया राशियों का उल्लेख करें————————————————

मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दिए गए ब्यौरे मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। अगर किसी मामले में उपर्युक्त जानकारी गलत है कि तो पेशगी में दी गई पूरी राशि की वसूली एक मुश्त नकदी में कर ली जाए।

टिकट लगी हुई अग्रिम रसीद
यहां रसीदी टिकट लगायें
(नियोक्ता की विशेष सिफारिश)

आवेदनकर्त्ता के हस्ताक्षर
तारीख :—

सं० तारीख

आगे की कार्रवाई के लिए लेखा अधिकारी (अंशदायी भविष्य निधि) वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी का कार्यालय, भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड, नंगल टाउनशिप (पि० 140124) को भेजा जाता है।

————————————————रुपए की पेशगी मंजूर किए जाने की सिफारिश भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि विनियमावली के विनियम————————————————के अन्तर्गत की जाती है। पेशगी की राशि ————————————————रुपए की————————————————मासिक किश्तों में वसूल की जाएगी।

अंशदायी भविष्य निधि से उसकी यह प्रथम————————————————पेशगी होगी।

(कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर)
कार्यालय की मोहर

फार्म—10

(खाता अंतरण के लिए आवेदन पत्र)

(दो प्रतियों में)

(विनियम 31 देखें)

सेवा में

वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी,
भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड
(अंशदायी भविष्य निधि-अनुभाग)
नंगल टाउनशिप।

महोदय,

निवेदन है कि मेरे अंशदायी भविष्य निधि की शेष राशि का अंतरण————————————————में कर दिया जाए। भविष्य निधि शेष राशि के आवश्यक ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

1. नाम

2. पिता का नाम
(अगर विवाहित महिला
है तो पति का नाम)

3. पिछले नियोक्ता का नाम और पता
क्या वहां भविष्य निधि योजना लागू है/लागू नही है/इसके अन्तर्गत नहीं आते।

4. (क) पिछला भविष्य निधि खाता सं०————————————————
क्या वहां अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू है/लागू नहीं है/इसके अन्तर्गत नही आते।

5. पिछले नियोक्ता के यहां से नौकरी
छोड़ने की तारीख————————————————

6. वर्तमान नियोक्ता का नाम व पता
क्या अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू है/लागू नहीं है/इसके अन्तर्गत नही आते।————————————————

7. वर्तमान भविष्य निधि खाता सं०----------

8. कार्यग्रहण की तारीख :

*सदस्य के हस्ताक्षर या बायें/दायें हाथ के अंगूठे का निशान ।

*अनपढ़ पुरुष सदस्य के मामले में बायें हाथ के अंगूठे का निशान और अनपढ़ महिला के मामले में दायें हाथ के अंगूठे का निशान ।

वर्तमान नियोक्ता के हस्ताक्षर के लिए

वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड (अंशदायी भविष्य निधि) नंगल टाउनशिप को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाता है :—

(1) प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर 1, 2, 6 से 8 तक में दिए गए तथ्य सही हैं।

(2) भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड, भविष्य निधि के विनियमों के अन्तर्गत इस प्रकार खाता अन्तरण हो सकता है और इसलिए खाता अंतरण कर दिया जाए।

(3) आवेदन कर्त्ता की भविष्य निधि की देय रकमों की राशि के लिए चैक----------के पक्ष में काटा जाय।

(यह केवल छूट प्राप्त व स्थापनाओं और अंशदायी भविष्य निधि के अन्तर्गत न आने वाली स्थापनाओं के मामले में भरा जायेगा)

नियोक्ता के हस्ताक्षर या दूसरे प्राधिकृत अधिकारी या नियोक्ता के हस्ताक्षर

अभिलग्नक :

आवेदन पत्र की दूसरी प्रति

सं० तारीख

----------को अग्रेषित । उनमें अनुरोध है कि अंशदायी भविष्य निधि के अन्तर्गत आने वाले/अंशदायी भविष्य निधि से छूट प्राप्त स्थापनाओं को अन्तरण के मामले में निम्नलिखित राशि के चैक जिस अधिकारी को भेजे जाने हैं उस अधिकारी का नाम और पता सूचित करें।

	रु०	पै०	
कर्मचारी का हिस्सा	.	.	(ब्याज सहित)
नियोक्ता का हिस्सा	.	.	(वही)
जोड़	.	.	

लेखा अधिकारी
वित्तीय सलाहकार
और मुख्य लेखा अधिकारी का
कार्यालय नंगल टाउनशिप-140124
(पंजाब)

फार्म—11

अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने/सेवा निवृत्त होने/सेवा समाप्त किए जाने/त्यागपत्र दे देने/बरखास्त किए जाने पर भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाता के खाते में जमा राशि में से अन्तिम आहरण के लिए आवेदन पत्र ।

[विनियम 32 (3) देखें]

सेवा में,

वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी,
(अंशदायी भविष्य निधि अनुभाग),
भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड,
नंगल टाउनशिप-140124 (पंजाब)

————————————————————————के माध्यम से (यहां उस नियोक्ता का नाम दिया जाए जिसके अधीन सदस्य इससे पहले नौकरी करता था)।

महोदय,

मैं एतद्द्वारा निवेदन करता हूं कि भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के अंशदायी भविष्य निधि विनियमावली के अन्तर्गत जो कटौतियां की जानी आवश्यक हैं वे कटौतियां करने के बाद, भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के मेरे खाता सं० .... मे जमा राशि का भुगतान किया जाए। इस हेतु आवश्यक ब्यौरा मैं नीचे दे रहा हूं :—

1. नाम (साफ अक्षरों में) ————————————————

2. पिता का नाम ————————————————
(अथवा विवाहित महिला के मामले म पति का नाम)

3. टोकन सं० अगर कोई हो ————————————————

4. पदनाम ————————————————

5. उस कार्यालय का नाम जिसमें सदस्य इससे पूर्व नौकरी पर था

6. अन्तिम आहरण के लिए आवेदन किन कारणों के आधार पर किया गया है।
(तारीख भी दें)

7. वर्तमान नियोक्ता का नाम व पता————————————————

8. भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड में लगातार नौकरी की अवधि।

(क) सेवा आरम्भ करने की तारीख से————————————————भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड से नौकरी छोड़ने की वास्तविक तारीख————————————————तक

(ख) की गई सेवा के पूरे हुए वर्ष————————

9. पुनर्नियुक्ति कर्मचारियों के लिए
भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड में पुनर्नियुक्ति की अवधि

(क)————————से————————तक

(ख) की गई सेवा के पूरे हुए वर्ष————————

10. भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड की अंशदायी भविष्य निधि के खाते में आवेदन कर्ता की शेष राशि————————
(अन्तिम लेखा विवरण संलग्न करें)

11. अभिदान का ब्यौरा————————————————
अर्थात महीना और राशि

12. स्थायी डाक पता जिस पर भुगतान————————————————
भेजा जाएगा। ————————

13 भुगतान किस प्रकार किया जाना है————————————————
(चैक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा)

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता कि उपर्युक्त सभी ब्यौरे मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं।

मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं कि मैं ऐसी किसी भी स्थापना में नौकरी नहीं कर रहा हूं जहां भविष्य निधि अधिनियम, 1925/कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू होता है।

मैं इस बात का भी वचन देता हूं कि अंशदायी भविष्य निधि से अन्तिम आहरण के रूप में अगर कोई अधिक राशि का भुगतान हो जाता है तो जब भी यह मामला भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ब्यास की नोटिस में आता है, मैं अधिक भुगतान की राशि को वापिस कर दूंगा।

भुगतान की अग्रिम रसीद
(बीस पैसे की रसीदी टिकटें लगायें)
(दावेदार के हस्ताक्षर)
तारीख

सदस्य के हस्ताक्षर या उसके बायें हाथ के अंगूठे का निशान
(पूरे पते सहित)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती——————————————————ने जो——————————————————————में नौकरी कर रहे हैं उपर्युक्त घोषणा पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए हैं/अंगूठे का निशान लगाया है।

तारीख

नियोक्ता के या अन्य किसी प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम

टिप्पणी :—इसका साक्ष्यांकन निम्न अधिकारियों में से किसी एक द्वारा किया जाए और अपने कार्यालय की मोहर लगाई जाए और तारीख डाली जाए :—

(1) मजिस्ट्रेट
(2) राजपत्रित अधिकारी
(3) पोस्ट मास्टर/उप पोस्ट मास्टर
(4) गांव का सरपंच
(5) नगर पालिका/बोर्ड या जिला परिषद का सभापति/सचिव/सदस्य
(6) लोक सभा/राज्य विधान सभा का सदस्य
(7) न्यासी बोर्ड का सदस्य

पृष्ठांकन सं० तारीख

भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड के वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (अंशदायी भविष्य निधि अनुभाग), नंगल को निम्न ब्यौरों सहित अन्तिम भुगतान के लिए अग्रेषित।

(1) सेवा समाप्त किए जाने/त्याग-पत्र दे देने या अधिवर्षिता पर सेवा-निवृत्त होने/सेवा निवृत्त होने के कारण उनको तारीख——————————को भारमुक्त किया है।

(2) अन्तिम कटौती के रूप में न्यास की निधि में रुपये——————————————की राशि का भुगतान——————————रुपये के चैक सं०——————————तारीख——————————द्वारा किया गया था।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उसने निम्नलिखित राशियां पेशगी के रूप में ली है और इसमें से उसके——————रुपये की वसूली करके निधि में जमा करना बाकी है।

क्रम सं०	ब्यौरे	अस्थायी पेशगी	न लौटाए जाने वाली अग्रिम राशि
(क)	पेशगी आहरण की राशि, तारीख सहित।		
(ख)	वापस की गई राशि।		
(ग)	शेष राशि जिसकी वसूली की जानी है।		
(घ)	जोड़—पेशगी पर देय ब्याज——————की दर से।		
(ङ)	वसूली जाने वाली कुल राशि।		

4. प्रमाणित किया जाता है कि बोर्ड की सेवा में वह अधिवर्षिता पर सेवा-निवृत्त/पेंशनभोगी व्यक्ति नहीं था।

5. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा की गई तदर्थ सेवाओं को, उसके केन्द्रीय/राज्य सरकार/बिजली बोर्ड के त्याग-पत्र देने पर, पेंशन सम्बन्धी लाभ के लिए गिना नहीं जाएगा।——————————से——————————तक की अवधि का अंशदान कार्ड संलग्न है।

अनुलग्नक:
अंशदान कार्ड

कार्यालय-अध्यक्ष के हस्ताक्षर (मोहर सहित), जिसके अधीन सदस्य पहले काम कर रहा था।

केवल भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड के वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय में प्रयोग के लिए

सदस्य के खाते में जमा शेष——————————

1. कर्मचारी का हिस्सा।
2. कर्मचारी के हिस्से पर ब्याज।
3. (क) भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड का हिस्सा।
   (ख) घटाए, व्यपगत राशि, अगर कोई है, ।
   (ग) भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड का निवल हिस्सा।
4. भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के निवल हिस्से पर ब्याज।
   [खाना 3 (ख)]
5. कुल जोड़ [खाना 1, 2, 3 (ख) व 4]
6. घटाएं—कर्मचारी से वसूल की जाने वाली राशि।
7. भुगतान योग्य निवल राशि।

जांचा

प्रभागीय लेखाकार

अधीक्षक

लेखा अधिकारी/अंशदायी भविष्य निधि

रुपये——————————की मंजूरी दी और उसके लिए पास किया।

कार्यकारी अधिकारी
की ओर से न्यासी बोर्ड
भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड,
अंशदायी भविष्य निधि न्यास

रु०——————(——————रुपयों) का भुगतान किया जाए।

तारीख :

लेखा अधिकारी

———

फार्म—12

संचित राशि का भुगतान मृत सदस्य के परिवार के सदस्य (सदस्यों) या नामांकित व्यक्ति (नामांकित व्यक्तियों) को करने के लिए आवेदन-पत्र।

यह फार्म, नामांकित व्यक्ति द्वारा या परिवार के सदस्य द्वारा प्रयोग में लाया जाए।

(विनियम 34 देखें)

सेवा में

वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी,
भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड
(अंशदायी भविष्य निधि अनुभाग),
नंगल टाउनशिप (140124)
——————————के माध्यम से
(उस नियोक्ता का नाम दें जिसके अधीन सदस्य सबसे अन्त में काम कर रहा था)

महोदय,

मैं/हम, मृत सदस्य के परिवार के सदस्य/नामांकित व्यक्ति होने के नाते मृत सदस्य की भविष्य निधि में जमा संचित राशि के भुगतान के लिए आवेदन देते हैं :—

सं०	नाम और पता	पुरुष/स्त्री	जन्म तिथि या आयु	विवाह संबंधी स्थिति अर्थात् विधवा, तलाक शुदा/विवाहित/ अविवाहित हैं	मृत सदस्य से क्या संबंध था	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

टिप्पणी :—1 (1) अगर नामांकन अस्तित्व में नहीं है तो दावा करने वाले सदस्य को अपने दावे के समर्थ में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(2) अगर दावाकर्त्ता, भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि विनियमावली, 1980 के विनियम (2) के उप विनियम (9) में यथा परिभाषित परिवार का सदस्य नहीं है तो उसे संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार से कानूनी वारिस होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(3) विवाहित पुत्रियों या मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियों को, अभ्युक्ति के कालम मे बताना चाहिए कि क्या उनके पति जिन्दा हैं।

(4) विधवा/विधुर व्यक्तियों को छोड़ कर परिवार के सभी सदस्यों/नामांकित व्यक्तियों को ग्राम पंचायत/नगर पालिका/मान्यता प्राप्त विद्यालय से अपनी जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र, इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने चाहिए।

2. मृत सदस्य के सभी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(1) मृत सदस्य का नाम और पता।

(2) पिता का नाम/पति का नाम
(अगर वह विवाहित महिला है)

(3) टोकन सं०, अगर कोई है।

(4) मृत्यु की तारीख।

(5) वह————————————————————में नियुक्त था।

(6) डाक पता जिस पर भुगतान किया जाना है।

(7) निधि में खाता संख्या।

(8) भुगतान किस प्रकार किया जाना है (बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा)।

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि :—

(1) मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार, मृत सदस्य की मृत्यु के उपरान्त उसके कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ/होगा।

(2) ऊपर दिए गए सभी ब्यौरे मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं।

(3) मैं इस बात का भी वचन देता हूं कि अगर किसी मामले में अंशदायी भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान के रूप में अगर कोई अधिक राशि का भुगतान हो जाता है तो जब भी यह मामला भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास की जानकारी में आता है, मैं उस अधिक भुगतान की राशि को वापस कर दूगा।

भुगतान की अग्रिम रसीद

यहां बीस पैसे का रसीदी टिकट चिपकाएं

1. स्वयं के लिए: आवेदनकर्त्ता के हस्ताक्षर या बायें/दायें अंगूठे का निशान

2. नाबालिग सदस्यों के लिए. उनके नैसर्गिक संरक्षक के रूप में (विधवा/विधुर के मामले में) आवेदनकर्त्ता के बायें/दायें हाथ के अंगूठे का निशान

दावाकर्त्ता के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती————————————————————ने जोकि दावाकर्त्ता हैं/दावाकर्त्ताओं मे से हैं, उपर्युक्त घोषणा पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए हैं/अंगूठे का निशान लगाया है।

तारीख:

नियोक्ता के हस्ताक्षर या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
(पदनाम और मोहर सहित)

प्राधिकृत अधिकारियों की सूची :

1. मजिस्ट्रेट, या
2. राजपत्रित अधिकारी, या
3. पोस्ट मास्टर/उप पोस्ट मास्टर, या
4. ग्राम यूनियन का प्रधान, या
5. जहां कोई यूनियन/बोर्ड नही है, वहां ग्राम पंचायत का प्रधान, या
6. नगर पालिका/जिला परिषद का अध्यक्ष या सचिव, या
7. लोक सभा/राज्य विधान सभा का सदस्य, या
8. न्यासी मण्डल के सदस्य

अनपढ़ पुरुष आवेदनकर्ताओं के मामले में बायें हाथ के अंगूठे का निशान और अनपढ़ महिला आवेदनकर्ता के मामले मे दायें हाथ के अंगूठे का निशान लगाना चाहिए ।

पृष्ठांकन सं० तारीख

भुगतान के लिए वित्तीय सलाहकार (अंशदायी भविष्य निधि अनुभाग), नंगल टाउनशिप को मूल रूप में भेजा जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि :—

1. अन्तिम कटौती के रूप में न्यास की निधि में———————————रुपये की राशि का भुगतान ———————————रुपयों के चैक सं०———————————तारीख———————————
द्वारा किया गया :—

2. मृत सदस्य ने निम्नलिखित राशियां पेशगी के रूप में ली है और इसमे से ———————————रुपये की वसूली करके निधि में जमा करना बाकी है।

क्रम सं०	ब्यौरा	अस्थायी पेशगी	वापस न की जाने वाली पेशगी
1	2	3	4
	(क) पेशगी की आहरण की राशि तारीख सहित		
	(ख) वापस की गई रकम		
	(ग) शेष राशि जिसकी वसूली की जानी है		
	(घ) जोड़ें—ब्याज		
	(ङ) वसूली जाने वाली कुल राशि		

3. भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि, विनियम, 1980 के अन्तर्गत नामांकित व्यक्तियों/परिवार के सदस्य (सदस्यों) को भुगतान की जाने वाली राशि निम्नलिखित है :—

(क) मृत सदस्य का हिस्सा

(ख) नियोक्ता का हिस्सा

(ग) भुगतान योग्य कुल राशि

4. ———————————से———————————तक की अवधि का अंशदान कार्ड संलग्न है।

संलग्न :

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

———

भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड के वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय में प्रयोग के लिए

1. मृत सदस्य का हिस्सा

2. भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड का हिस्सा

3. (1) (1) ———————————पर ब्याज

(II) (2) ———————————पर ब्याज

4. कुल राशि

5. घटाएं—कर्मचारी से वसूल की जाने वाली राशि ।

6. भुगतान योग्य निवल राशि

जांचा

प्रभागीय लेखाकार/अधीक्षक

लेखा अधिकारी
(अंशदायी भविष्य निधि)

———————————————————रुपये (शब्दों में) के लिए मंजूरी दी और उसके लिए पास किया।

तारीख :

कार्यकारी अधिकारी
कृते, न्यासी बोर्ड भाखड़ा ब्यास
प्रबन्ध बोर्ड (अंशदायी भविष्य निधि),
नंगल टाउनशिप

रु० का———————————(रुपयों)——————का भुगतान किया जाएं।

तारीख :

लेखा अधिकारी
(अंशदायी भविष्य निधि)

————————————रुपयों का मेरे द्वारा भुगतान किया गया।

देखें चैक सं०————————————तारीख————————

लेखा अधिकारी
(अंशदायी भविष्य निधि)

चैक सं०————————————प्राप्त किया

तारीख :

हस्ताक्षर
नाम

RESERVE BANK OF INDIA
AGRICULTURAL CREDIT DEPARTMENT
(CENTRAL OFFICE)

Bombay-400 018, the 3rd December 1981

No. ACD. 60/A-18/81/82.—In pursuance of sub-section (2) of section 36A read with clause (za) of Section 56 of Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India hereby notifies that the following co-operative bank has ceased to be a co-operative bank within the meaning of the said Act.

Name of the bank & State

Jhalod Kasba Co-operative Credit Society Ltd., Jhalod, District Panchmahals—Gujarat.

R. R. PRADHAN,
Addl. Chief Officer

STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR

Jaipur, the 16th December 1981

In terms of sub-regulation (2) read with sub-regulation (1) of Regulation 33 of the Subsidiary Banks General Regulations, 1959 notice is hereby given that in pursuance of our notice dated the 14th September, 1981, three valid nominations have been received in favour of the following persons for election of two directors under clause (d) of sub-section (1) of section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 :

(i) Shri A. C. Chatterji,
C-30 Bapu Nagar, Jaipur.

(ii) Shri Surender Kumar Jain,
Barwara House, Opp. Satya Mahal Hotel,
No. 5, Civil Lines, Jaipur.

(iii) Shri Lal Chand Kothari,
Oswal Kothari Mohalla,
Bikaner.

IT IS FURTHER NOTIFIED that for the above purpose a General Meeting of the Shareholders of the State Bank of Bikaner and Jaipur will be held at the Bank's Head Office, Tilak Marg, 'C' Scheme, Jaipur on Saturday, the 2nd January 1982 at 3-00 P.M. (Standard time) as already notified.

The 23rd December 1981

NOTICE is hereby given that the register of shareholders of the Bank shall remain closed from Saturday, the 30th January 1982 to Saturday, the 13th February, 1982 both days inclusive.

By Order of the Board
M. B. DUTTA
Managing Director

STATE BANK OF MYSORE
(Associate of the State Bank of India)

Bangalore, the 3rd December 1981

NOTICE

The Register of Shareholders of the State Bank of Mysore will remain closed from 31st January 1982 to 14th Febr 1982 (both days inclusive) for payment of 35th Divi for the year ended 31st December 1981 to the shareholders whose names stand registered in the books of the Bank as on the 14th February 1982.

V. NAVARATHNA RAJU
for Managing Director

THE FOOD CORPORATION OF INDIA

HEAD OFFICE

New Delhi-110001, the 10th December 1981

Explanatory Memorandum to the Notification of Even Number Dated 13-12-1979

Published in the Gazette of India, Part III, Section 4 on 29-12-1979

No 12/F. No. 1-16/76-EP.—A Pay Committee was set up by the Food Corporation of India with the approval of the Central Government in the year 1974. The terms of reference to the Pay Committee, inter-alia, was to enquire into and make recommendations on the structure of emoluments and conditions of service of the different classes of employees of the Food Corporation of India which were desirable and feasible. The Pay Committee in its report recommended that the revised scales of pay proposed by it should be given effect to from 1-1-1973. After acceptance of the recommendations of the Pay Committee in this regard by the Board of Directors of the Food Corporation on 7th April, 1975, necessary reference was made to the Department of Food for conveying approval of the Central Government to the recommendations approved by the Board of Directors. The Department of Food, conveyed approval of the Central Government under Section 45 of the Food Corporations Act, 1964, on the 23rd April, 1976 to the revised scales of pay of the various posts to be given effect to from 1-1-1973. The approval conveyed by the Central Government on some of the recommendations of the Pay Committee required amendments in certain provisions of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971. It was, therefore, considered that a notification covering all the recommendations may be issued on finalisation of the proposed changes in the Staff Regulations as were necessary to be made consequent upon the approval given by the Central Government. However, the finalisation of the proposed amendments in the Staff Regulations was taking more time than anticipated. It was, therefore, decided that the revised scales of pay of the various posts, as approved by the Central Government, may be notified in the Gazette of India. The matter was, thereafter, taken up with the Department of Food of the Central Government. On receipt of the approvals of the proposals contained in paras 2 & 3 of the Notification on 19th October, 1979, in para 4 thereof on 29th December, 1976 and in para 5 thereof on 29th April, 1977, from the Department of Food, these amendments were made effective from these dates separately. However, the final Notification could be issued only on 13th December, 1979. The retrospective operation of these regulations is not likely to affect any one adversely.

No. 11/F. No. 7-4/79-EP.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971, namely :—

1. (1) These Regulations may be called hte Food Corporation of India (Staff) (80th Amendment) Regulations, 1981.

(2) They shall come into force at once.

2. The existing Regulation 30 of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 shall be substituted with the following :—

"30. *Joining Time* :—

(1) Joining time shall be granted to an employee of the Corporation on transfer in public interest to enable him to join the new post either at the same or new station. No joining time is admissible in case of temporary transfer for a period not exceeding 180 days. Only the actual transit time, as admissible in case of journeys on tour may be allowed.

(2) For appointment to posts under the Corporation on the results of a competitive examination and/or interview open to the employees of the Corporation and others, the employees of the Corporation will be entitled to joining time under these rules.

(3) (a) The joining time shall commence from the date of relinquishment of charge of the old post if the charge is made over in the forenoon or the following date if the charge is made over in the afternoon.

(b) The joining time shall be calculated from old headquarters in all cases including where an employee receives his transfer orders or makes over charge of the old post in a place other than his old headquarters or where the headquarters of an employee while on tour is changed to the tour station itself or where his temporary transfer is converted into permanent transfer.

(c) Not more than one day's joining time shall be allowed to an employee to join a new post within the same station or which does not involve a change of residence from one station to another. For this purpose, the term "same station" will be interpreted to mean the area falling within the jurisdiction of the Municipality or Corporation including such of suburban municipalities, notified areas or cantonments as are contiguous to the named municipality etc.

(d) In cases involving transfer from one station to another and also involving change of residence, the employee of Corporation shall be allowed joining time with reference to the distance between the old headquarters and the new headquarters by direct route and ordinary mode(s) of travel as indicated in the following schedule. When holiday(s) follow(s) joining time, the normal joining time may be deemed to have been extended to cover such holiday(s).

Distance between the old headquarters and the new headquarters	Joining time admissible	Joining time admissible where the transfer necessarily involves continuous travel by road for more than 200 Kms.
1,000 Kms, or less	10 days	12 days
More than 1,000 Kms.	12 days	15 days
More than 2,000 Kms.	15 days except in cases of travel by Air for which the maximum time will be 12 days.	15 days

Note :—Distance means actual distance and not weighted mileage for which fare is charged by the Railways in certain ghat/hill sections.

(e) Extension of joining time beyond the limits indicated in Sub-regulation 3(d) above can be granted upto the maximum limit of 30 days by Zonal Managers/Personnel Manager in Head Office under whose jurisdiction the employee concerned has been transferred and beyond 30 days by the Chief Commercial Manager/ Financial Adviser, the guiding principle being that the total period of joining time should be approximately equal to 8 days for preparation plus reasonable transit time plus holidays, if any following the extended joining time. While computing the transit time, allowance could be made for the time unavoidably spent due to disruption of transport arrangements caused by strike or natural calamities, or the period spent awaiting the departure of the steamer.

(4) (a) When an employee joins the new post without availing of the full joining time, the number of days of joining time, as admissible in Sub-regulation 3(d) above subject to the maimum of 15 days reduced by the number of days actually availed of shall be credited to his leave account as earned leave.

(b) Joining time may be combined with regular leave of any kind or duration except casual leave.

(c) If an employee in transit on transfer is directed to proceed to a place different from that indicated in the initial transter orders, he shall be entitled to joining time already availed of upto the date of receipt of revised orders plus fresh spell of full joining itme from the date following the date of receipt of the revised orders. The fresh spell of joining time in such cases shall be calculated from the place at which he received revised orders as if he is transferred from that place.

(5). The authority sanctioning the transfer may, in special circumstances curtail/extend the joining time admissible under these regulations at his discretion for reasons to be recorded in writing.

(6) An employee who does not join in his new post within his joining time is not entitled to any pay or leave salary after the end of the joining time. An employee wilfully absenting himself from duty after expiry of joining time shall be liable to disciplinary action under these regulations."

3. The existing Regulation 80 of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 shall be substituted with the following :—

"80. *Pay and Allowances during joining time* :—

An employee on joining time shall be regarded as on duty during that period and shall be entitled to be paid joining time pay equal to the pay which was drawn before relinquishment of charge in the old post. He will also be entitled to dearness allowance, if any, appropriate to such joining time pay. In addition, he shall also be entitled to draw compensatory allowances like City Compensatory Allowance and House Rent Allowance as applicable to his old post at the rates applicable to the old station from which he was transferred.

R. NARAYANASWAMY
Secretary

OFFICE OF THE CANTONMENT BOARD, RANIKHET

Ranikhet, the 08th December 1981

CORRIGENDUM

No. 243/Toll Tax/Adm.—In the Notification SRO No. 243/60/ATTN, dated 09th November 1981 published in the Gazette of India, Part III, Section 4, week ending 21st November 1981, the following corrections are made therein :

(i) In line 3 of Notification published at page 3210, *for* the date 09th November 1981 *read* 08th November 1981.

(ii) In line 7 thereof, *for* the word "Tool" *read* "Toll".

R D CHATURVEDI
Cantonment Executive Officer, Ranikhet

BHAKRA BEAS MANAGEMENT BOARD

Chandigarh-160036, the 27th November 1981

No. 28208/B-1273/11-B.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (9) of Section 79 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Bhakra Beas Management Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. *SHORT TITLE, EXTENT, APPLICATION AND COMMENCEMENT.*—(1) These regulations may be called the Bhakra Beas Management Board Employees' Contributory Provident Fund Regulations, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to all the regular and workcharged employees of the Bhakra Beas Management Board, except the employees,—

(i) who are governed by the Pension Rules, General or Contributory or any other Provident Fund Rules of the Central Government or State Governments or the State Electricity Boards;

(ii) who are governed by the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) and are entitled to the benefits of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, the Employees' Family Pension Scheme, 1971, and the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976, framed thereunder.

2. *DEFINITIONS.*—In thsee regulations, unless the context otherwise requires,—

(1) "Accounts Officer" means an Accounts Officer or Assistant Accounts Officer working in the Bhakra Beas Management Board, who may be designated as such by the Executive Officer for the purpose of these regulations;

(2) "Board" means the Bhakra Beas Management Board Constituted under Section 79 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966) read with Subsection (6) of Section 80;

(3) "Board of Trustees" means a Board of Trustees constituted under these regulations for administering the Fund;

(4) "Chairman" means Chairman of the Board of Trustees constituted under these regulations unless otherwise specified;

(5) "continuous service" means an uninterrupted service under the Board and includes service which is interrupted by sickness or accident (whilst on duty) certified by a competent authority, authorised leave, strike which is not illegal or cessation of work not due to the employee's fault;

(6) "emoluments" means monthly pay includnig dearness allowance, leave salary, wages or subsistence allowance excluding house rent, over-time and other fluctuaitng or extra-allowances provided that the monthly emoluments of a daily rated person shall be deemed to be 25 times the daily rate of wages admissible to him for the first normal working day of the month;

Explanation.—Monthly emoluments should in all cases be calculated on the basis of 25 days. This principle applies in the case of employees who work every day in the month except Sundays and notified holidays. In case of employees employed on daily rate basis getting wages for the weekly holidays during a month, the monthly emoluments shall be calculated on the basis of 30 days;

(7) "employee" means any person contributing to the Fund and who is employed by the Board on wages or pay in any kind of work, manual or otherwise and who gets his wages directly or indirectly from the Board;

(8) "Executive Officer" means the Executive Officer of the Boarad of Trustees constituted under these regulations;

(9) "family" means—

(a) In the case of a male subscriber, the wife or wives and children of a subscriber, and the widow or widows, and children of a deceased son of the subscriber and his dependent parents :

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these regulations relate, unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Accounts Officer that she shall continue to be so regarded;

(b) in the case of a female subscriber, the husband and children of the subscriber, and the widow or widows and children of a deceased son of the subscriber and her dependent parents :

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Accounts Officer expresses her desire to ex-

clude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these regulations relate, unless the subscriber subsequently cancels her notice in writing;

Explanation.—"Child" means a legitimate child, and includes an adopted child, where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber,

(10) "Fund" means the Contributory Provident Fund of the Board;

(11) "nominee" means in the event of a person having a family, any person or persons belonging to his family, and in the event of their absence, any person or persons appointed in writing by the member to receive the amount that may become payable from the Fund to the estate of the member in the event of the member's death before the termination of his service by the Board;

Provided that the subscriber who, after making the nomination in favour of other person or persons acquires a family, should file a fresh nomination in favour of his family member or members in the prescribed form within thirty days from the date of allowances and perquisites;

(12) "salary" includes dearness allowance, if the terms of employment so provide, but excludes all other allowanaces and perquisites;

(13) "subscriber" means an employee who subscribes the Fund;

(14) "Trustee" means a member of the Board of Trustees constituted for the administration of the Fund;

(15) "year" means the financial year commencing on the 1st April of each year;

(16) Words and expressions used but not defined in these regulations and defined in the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) or in the leave rules applicable to the Board's employees covered under these regulations shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts and the leave rules.

3. *CONSTITUTION OF FUND.*—A separate Fund which shall be maintained in rupees shall be constituted to which the aggregate amount received as the employees' and employers' contribution shall be credited and this account shall be called the "B.B.M.B. Employees' Contributory Provident Fund Account".

4. *REGULATION OF THE FUND.*—(1) The Fund shall be governed by these regulations or any such rules/regulations as shall, for the time being, be in force and shall be interpreted by the Trustees whose decision shall be normally final and binding. If, however, there arises any dispute between the Board of Trustees and a subscriber to the Fund regarding the interpretation of any of these regulations the matter shall be referred to the Regional Provident Fund Commissioner for his decision, which shall be final and binding upon both the parties.

(2) The Fund shall be maintained in rupees and shall be constituted by subscription paid by the subscribers and the contribution made by the Board and shall include interest paid to the credit of the account of the subscribers.

(3) The Trustees, as referred to in regulations 14 and 15, shall invest such part of the Fund as may be considered expedient in the securities covered by Section 20 of the Indian Trusts Act, 1882, as the Trustees may determine, interest or profit realised on the said investment being credited to the Board.

5. *MEMBERSHIP OF THE FUND.*—(1) Every employee may, from the date of his service under the Board, and shall from the first of the month following that in which he completes six months continuous service, or has actually worked for 120 days during a period of 6 months or less, or has been declared permanent, as the case may be, whichever is earlier, join the Fund and thus become a member of the Fund,

Note.—In computing the period of work for 120 days, periods of involuntary unemployment caused by stoppage of work due to shortage of raw materials, fuel, non-supply of electricity, changes in the line of production, break down of machinery or any other similar causes, shall be deemed to be days on which the employee has worked in the establishment, period of authorised leave, and in the case of female employee, period of maternity leave for any number of days not exceeding 12 weeks, shall also be deemed to be days on which the employees has worked in the establishment.

(2) Pensioners and superannuated persons of the State Governments or Electricity Boards and Central Government Departments shall have the option to join the Fund from the first day of their service in the Board, provided that the contribution of the Board shall be payable to such a subscriber on termination of service, only after he has completed two years service under the Board.

(3) An application for membership of the Fund shall be filled in by every subscriber at the time of joining the Fund in Form-1.

(4) A member of the Fund shall continue to be member until he withdraws the accumulations standing to his credit in the Fund or until his accumulations have been transferred to any other Provident Fund as per regulations.

(5) Return of the employees qualifying for membership of the Employees' Contributory Provident Fund for the first time during the months shall be submitted by the employer in Form-2.

6. *FOREIGN SERVICE OR DEPUTATION OUT OF INDIA.*—If a subscriber is transferred to foreign service or sent on deputation out of India, he shall continue subject to the regulations of the Fund, to be a subscriber to the Fund in the same manner as if he was not so transferred or sent on deputation.

7. *ACCEPTANCE OF TRANSFER OF PAST PROVIDENT FUND ACCUMULATIONS OF AN EMPLOYEE.*—

(1) The Trustees shall accept the past Provident Fund accumulations of a subscriber who, prior to his taking up service under the Board, was either a member of a Provident Fund exempted from the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) or a member of a Statutory Fund or a Provident Fund to which the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) applies. Such a person shall be admitted straightway to the membership of this Fund. Nothing in this regulation shall, however, be deemed to provide that the amount of such transferred balance shall be taken into account in determining the contribution to be made by the Board under regulation 13 hereof and the Board shall be under no liability whatsoever on such payment or transfer to this Provident Fund, to make any equivalent contribution to the Fund. Subject as aforesaid, any such transferred balance shall be credited to the account of such joining member and be subject to the provisions of the regulations for the time being of this Fund

(2) If a subscriber of this Fund ceases to be in the employment of the Board, the accumulated balance due to him shall be payable on the day he ceases to be an employee of the Board and in case he takes up employment in an establishment covered under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), whether exempted under Section 17 of the said Act or un-exempted before he withdraws the full amount of Provident Fund accumulations from the Board, may apply to the Board of Trustees for transfer of his Provident Fund accumulations to the new employer.

8. *NOMINATION*—(1) An employee shall at the time of joining the Fund, send to the Board of Trustees, a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund, in the event of his death before that amount has become payable, has not been paid :

Provided that if, at the time of making nomination, the employee has a family, the nomination shall not be in favour of any person or persons other than the members of his family.

(2) If any employee nominates more than one person under sub-regulation (1) he shall specify in the nomination the amount of share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time

(3) Every nomination shall be in Form 1

(4) A subscriber may, at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Board of Trustees

Provided that the subscriber shall along with such notice send a fresh nomination made in accordance with the provision of sub-regulation (3)

(5) An employee may provide in a nomination—

(a) in respect of any specified nominee, that, in the event of his pre-deceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person as may be specified in the nomination,

(b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein, provided that, if at the time of making the nomination, the subscriber has no family he shall provide in the nomination that it shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family

9 *ASSETS OF THE FUND*—The Fund shall consist of—

(a) the contributions made by the subscribers out of their salary or pay or wages or other emoluments as provided in these regulations,

(b) the contributions received by the Trustees or accumulations thereof, and of interest credited in respect of such contributions and accumulations and of securities purchased therewith and of any capital gains arising from the transfer of capital assets of the Fund and of no other sums

(c) balance transferred from other Provident Fund where such transfers are permitted by these regulations;

(d) sums forfeited to the Fund under these regulations

(e) donations from the Board if any

10 *ASSETS AD ADMINISTRATION OF THE FUND*—The assets of the Fund and its administration shall rest with a duly constituted Trust which shall be irrevocable save with the consent of all beneficiaries No money belonging to the Fund in the hands of trustees shall be recoverable by the Board save in the cases prescribed under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or other bonafide reasons as considered appropriate by the Board

11 *SUBSCRIPTIONS AND CONTRIBUTIONS TO THE FUND*—(1) Each member shall subscribe to the Fund every month a sum equivalent to 8-1/3% of his salary rounded off to nearest quarter of a rupee

Note—During leave with leave salary, the subscription shall be made on the leave salary actually drawn or on the full salary drawn immediately before proceeding on leave, if so desired by the member

(2) In addition to the compulsory subscription, a member may at his option subscribe monthly a fixed sum expressed in whole rupees subject to the ceiling of salary left after recovery of compulsory subscription and deductions due to Government and Board The option as to making a voluntary subscription and as to the rate of subscription shall prevail throughout the year unless varied before the commencement of financial year The voluntary subscription shall not earn any contribution by the Board but only interest under the regulations

(3) Statement of contributions together with return for the month shall be submitted by the Employer in Forms 3 & 4

12 *RECOVERY*—(1) The subscription of each employee shall be recovered at source from the salary or wages of each periodical payment thereof and shall vest in the Board of Trustees for credit to individual accounts of the employees in the books of the Fund

(2) When a subscriber is on a foreign service and receives his salary from the foreign employer it shall incumbent on the subscriber to remit his monthly contribution to the Trustees of the Fund The Board's contribution payable in respect of the subscriber on foreign service shall be recovered from the foreign employer

13 *CONTRIBUTION BY THE BOARD*—The Board shall every month contribute in respect of each member a sum equal to the total of each member's compulsory subscription under these regulations The contribution as made shall vest in the Board of Trustees for credit to the member's individual account in the books of the Fund

14 *MANAGEMENT OF THE FUND*—The custody, control and management of the Fund shall be vested in a Board of Trustees duly constituted for the purpose and shall not be revocable save with the consent of all the beneficiaries All expenses involved in the administration of the Fund including the maintenance of accounts, submission of the account and returns transfer of accumulations and payment of inspection charges and the like shall be paid by the Board

15 *TRUETEES OF THE BOARD*—The Board of Trustees of the Fund shall consist of one member each representing the staff of Irrigation Wing stationed at Nangal, Sundernagar and Talwara and one member representing the staff of Power Wing and such representatives shall be appointed by the Board in consultation with the recognised unions The management side would be represented by the Chief Engineer (Irrigation), Chief Engineer (Power) and the Financial Adviser and Chief Accounts Officer The Member/Irrigation would be the Chairman of the Board of Trustees and Financial Adviser and Chief Accounts Officer would act as the Executive Officer of the Board of Trustees

16 *MEETINGS OF THE BOARD OF TRUSTEES*—(1) The Board of Trustees of the Fund shall meet at such place and time as may be appointed by the Chairman

(2) The Chairman may, whenever he thinks fit, and shall within 7 days of the receipt of a requisition in writing from not less than 1/3 of the members of the Board of Trustees call a meeting thereof

(3) Notice of not less than 7 days from the date of posting, containing the date, time and place of every ordinary meeting together with a list of business to be conducted at the meeting shall be despatched by registered post or by special messenger to each member of the Board of Trustees, as the case may be

Provided that when the Chairman calls for considering any matter which in his opinion is urgent, a notice giving such reasonable time as he may consider necessary, shall be deemed sufficient

(4) The Chairman shall preside at every meeting of the Trustees as the case may be at which he is present If the Chairman is absent at any time the members present shall elect one of the members to preside over the meeting and the member so elected shall exercise all the powers of the Chairman at the meeting

(5) At any meeting of the Trustees four Trustees shall constitute a quorum provided two of them are subscribers' representatives The Chairman shall have a casting vote in addition to and not instead of his own vote as a Trustee The decision of the majority at any meeting of the Trustees at which there is a quorum shall be final and binding on the Trustees

(6) If at any meeting the number of Trustees present is less than four i.e two each representing the management and the workmen the Chairman shall by issuing a notice in writing adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of original meeting informing the Trustees of the date, time and place of the adjourned meeting and it shall thereupon be legal to dispose of the business in such adjourned meeting irrespective of the number of Trustees present

(7) The Chairman shall hold office during the pleasure of the Bhakra Beas Management Board

(8) The term of members of the Board of Trustees representing the workmen shall be three years commencing from the date on which their appointment is notified by the Bhakra Beas Management Board

Provided that any such member shall, notwithstanding the expiry of the said period of three years, continue to hold office until the appointment of his successor is notified by Bhakra Beas Management Board.

17. If and whenever any Trustee or Trustees dies, resigns or refuses to act as a Trustee or becomes in the opinion of the Board, unqualified, incompetent or incapable of acting as such or ceases to be an employee of the Board, the Board shall nominate, in accordance with these regulations any other competent person or persons to be a new Trustee or Trustees and on every such appointment the assets of the Fund shall, *ipso-facto*, vest in the new Trustee or Trustees jointly with the surviving or continuing Trustee or Trustees.

18. *FUNCTIONS.*—(1) It shall be the responsibility of the Trustees to manage the fund in accordance with the provisions of these regulations.

(2) All correspondence in relation to the management of the Fund may be conducted on behalf the Board of Trustees by an Executive Officer, who shall be one of the Trustees representing the Board.

(3) The receipts for moneys (cheques and cash) received by or on behalf of the Trustees and also cheques on banking accounts of the Fund may be issued, drawn, signed or endorsed on behalf of the Trustees by the Accounts Officer or his representative as nominated by the Board of Trustees for the purpose subject to such condition, if any, as the Board of Trustees may prescribe.

19. *INVESTMENT OF THE FUND.*—(1) All moneys belonging to the Fund shall be invested in such a manner as the Central Government may direct from time to tmie and pursuant to the provisions of rule 67 of the Income Tax Rules, 1962.

(2) All expenses in administration of the Fund except loss, if nay, arising from any investment shall be borne by the Board and such losses referred to above shall be charged to the Fund.

(3) All monies contributed to the Provident Fund (whether by the employer or by the employee) or accruing by way of interest or otherwise to the Fund shall be wholly invested.

(4) So, however, that in all cases the securities in which the contributions made by employees after the date of recognition of the Provident Fund and the interest on accumulated balance of such contributions are invested are payable both in respect of capital and of interest in India.

20. *INTEREST ACCOUNT.*—An interest account shall be opened in the books of the Fund and all interest received or accrued on investments or bank deposits of the Fund during a financial year shall be credited to this account which shall be debited with any incidental charges and expenses incurred on investment or bank deposits.

21. *RESERVE ACCOUNTS.*—Reserve Accounts shall be maintained in the books of the Fund to which shall be credited any profit arising from the sale of securities and any amounts which may be appropriated or forfeited to the Fund. These shall likewise be debited to the reserve account any loss arising from the sale of securities.

22. *INTEREST.*—(1) The Board of Trustees shall credit to the account of each member, interest at such rate as may be fixed for each financial year by the Trustees, having regard to over all position of the interest and reserve account in consultation with the Board. The total amount of interest so credited or debited, shall be carried forward to the interest account of the next financial year.

(2) Interest shall be credited with effect from the 31st March of each year in the following manner :—

(a) On the amount at the credit of a member on the 31st March of preceding year, less any sums withdrawn during the current year, interest of twelve months.

(b) On sums wihtdrawn during the current year, interest from 1st April of the current year unto the last day of the month preceding the month of withdrawal.

(c) On all sums credited to the members' account during the current year, interest from the first day of the month of credit upto the 31st March of the current year :

Provided that the amount standing at the credit of a member has become payable, interest thereon shall be credited in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of commencement of membership, as the case may be, upto the date of authorisation of payment.

23. *BALANCE SHEET AND AUDIT.*—Soon after the 31st day of March in each year, a balance sheet shall be prepared as on 31st March. In making up the balance sheet, investments shall be valued at cost without taking into account appreciation or depreciation thereof. The balance sheet and the accounts shall be audited by the auditors of Bhakra Beas Management Board periodically. Balance Sheet as on 31st March shall be prepared in Form-5.

24. *ANNUAL STATEMENT.*—The Board of Trustees shall, if required by a member, once but not more than once in a year, inform the member of the total amount standing to his credit in the Fund, at the end of the last month for which his account has been written up. The member should satisfy himself as to the correctness of the annual statement and errors should be brought to the notice of the Board of Trustees within one month from the date of receipt of the statement. Annual statement of account for the year will be supplied to a subscriber in Form-6.

24A. *ANNUAL CONTRIBUTION CARDS.*—Every employer shall within one month from the date of expiration of Period of currency of Contribution Card in respect of members employed by him, send the Annual Contribution Card together with Annual Contribution Statement to the Accounts Officer in Forms 7 & 8.

25. *CIRCUMSTANCES IN WHICH WITHDRAWALS MAY BE PERMITTED.*—(1) Withdrawals by the employees may be allowed by the Executive Officer of the Provident Fund in the following circumstances :—

(a) to pay expenses incurred in connection with the illness of the employee or a member of his family;

(b) for meeting the cost of higher education, including the travelling where necessary expenses of any child of the employee actually dependent on him in the following cases namely :—

(i) education outside India for academic, technical, professional or vocational courses beyond the High School Stage; and

(ii) any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage provided that the course of study is for not less than three years;

(c) to pay for the cost of passage to a place out of India of an employee or any member of his family;

(d) to pay expenses in connection with marriages, funerals or ceremonies, which by the religion of the employee it is incumbent upon him to perform;

(e) to meet the expenditure for construction of a house or purchasing a site or a house and site :

Provided that the employee furnishes an undertaking to the Trustees not to encumber or alienate such house or site or house and site, as the case may be;

(f) to pay premia on policies of insurances on the life of the employee or of his wife provided that the policy is assigned to the Trustees of the Fund or at their discretion deposited with them and that the receipts granted by the insurance company for the premia are from time to time handed over to the Trustees for inspection by the Income Tax Officer;

(g) to meet the cost of legal proceedings instituted by the employee for vindicating his position in regard to any allegation made against him in respect of any act done or purporting to be done by him in the discharge of his official duty or to meet the cost of his defence when he is prosecuted by the employer in any court of law in respect of any official misconduct on his part ;

Provided that the advance under this clause shall not be admissible to an employee who institutes legal proceedings in any court of law either in respect of any matter unconnected with his official duty or against the employer in respect of any condition of service or penalty imposed on him.

Explanation.—For the purposes of sub-regulation (1) "family" means any of the persons who are wholly dependent on the employee, namely, the employee's wife, legitimate children, step children, parents, sisters and minor brothers.

(2) Application for advance from Bhakra Beas Management Board Employees Contributory Provident Fund shall be in Form-9.

26. *CONDITIONS FOR WITHDRAWAL FOR VARIOUS PURPOSES.*—(1) The withdrawal in connection with expenses on marriages as specified in clause (d) of sub-regulation (i) of regulation 25 shall not exceed six months' pay or the total of the accumulation of exempted contributions and exempted interest lying to the credit of the employee, whichever is less.

(2) The withdrawal for the purpose specified in clause (e) of sub-regulation (1) of regulation 25 shall be subject to the following conditions :—

(a) the amount of withdrawal shall not exceed one half of the amount standing to the employee's credit or the actual cost of the house or of the site or both, whichever is less;

(b) the employee shall have completed twenty years of service or is due to retire within the next ten years;

(c) the construction of the house should be commenced within six months of the withdrawal and should be completed within one year from the date of the commencement of the construction.

(d) if the withdrawal is made for the purchase of a house or a site for a house or both, the purchase should be made within six months of the withdrawal;

(e) if the withdrawal is made for the repayment of loan previously raised for the purpose of construction or purchase of a house, the repayment of the loan should be made within three months of the withdrawal;

(f) Where the withdrawal is for the consrtuction of a house, it shall be permitted in two or more equal instalments (not exceeding four) a latter instalment being permitted only after verification by the trustees about the actual utilisation of the earlier withdrawal;

(g) the withdrawal shall be permitted only if the house or site or both is free from encumbrances and no withdrawal shall be permitted for purchasing a share in a Joint property in building or house or land whose ownership is divided;

(h) if the amount withdrawn exceeds the actual cost of the purchase or construction of the house or site or both, or if the amount is not utilised for the purpose for which it is withdrawn, the excess or the whole amount, as the case may be, shall be refunded to the Trustees forthwith in one lumpsum. The amount refunded shall be credited to the employees account in the Provident Fund.

(3) The withdrawal for the purpose specified in clause (g), of sub-regulation (1) of regulation 25 shall not exceed three months pay or Rs. 500/- whichever is greater, but shall, in no case, exceed half the mount to the credit of the employee.

(4) The withdrawal for any other purpose referred to in sub-regulation (1) of regulation 25 shall not exceed three months' pay or the total of the accumulation of exempted contributions nad exempted interest lying to the credit of the employee, whichever is less.

(5) For the purpose of this regulation, pay means the pay to which the employee is entitled at the time when the withdrawal is granted or, in the case of an employee referred to in sub-regulation (6) of regulation 2, the pay (including increments, if any) which he would have received had he not entered the armed forces of the Union or been taken into or employed in the National Service.

27. *SECOND WITHDRAWAL.*—(1) Save as in sub-regulation (2) below a second withdrawal shall not be permitted until the sum first withdrawn has been fully repaid.

(2) A withdrawal may be permitted :—

(a) for any purpose specified in clause (e) of clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 25 notwithstanding that the sum withdrawn earlier for any purpose has not been repaid;

(b) for any other purpose specified in sub-regulation (1) of regulation 25 notwithstanding that any sum withdrawn earlier for any purpose specified in clause (e) or clause (f) of the said sub-regulation (1) of regulation 25 has not been repaid.

28. *REPAYMENT OF AMOUNTS WITHDRAWN.*—(1) Subject to the provisions of clause (h) of sub-regulation (2) of regulaiton 26 where a withdrawal is allowed for a purpose specified in clause (e) or clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 25, the amount withdrawn need not be repaid;

(2) Where a withdrawal is allowed in connection with marriages as specified in clause (d) of sub-regulation (1) of regulation 25, the amount withdrawn shall be repaid in not more than forty eight equal monthly instalments.

(3) where a withdrawal is allowed for any other purpose, the amount withdrawn shall be repaid in not more than twenty four equal monthly instalments.

(4) The employer shall deduct the instalments aforesaid from the employee's salary, and pay them to the Trustees of the Fund. These deductions shall commence from the second monthly payment of salary made after the withdrawal or, in the case of an employee on leave without pay, from the second monthly payment of the salary made after his return to duty.

29 *AMOUNT WITHDRAWN BUT NOT REPAID MAY BE DEEMED AS INCOME.*—In case of default of repayment of instalments due under sub-regulation (2) or sub-regulation (3) of regulation 28 or where the amount withdrawn is not utilised for the purpose for which it is withdrawn the Income Tax Commissioner may, at his discretion order that the amount of the withdrawal or the amount outstanding shall be added to the total income of the employee for the year in which the default occurs the withdrawn amount is finally held not to have been utilised for the purpose for which it is withdrawn and the Income Tax Officer shall assess the employee accordingly.

30. *WITHDRAWAL ON LEAVE PREPARATORY TO RETIREMENT.*—Notwithstanding anything contained in regulations 25 and 29, it shall be open to the Trustees of the Fund to permit the withdrawal of ninety per cent of the amount standing at the credit of an employee if the employee takes leave preparatory to retirement, provided that if he rejoins duty on the expiry of his leave he shall refund the amount drawn together with interest at the rate allowed by the Regulations of the Fund.

31. *TRANSFER OF MEMBER'S ACCOUNT TO OTHER GOVERNMENT/UNDERTAKING.*—In the event of a member permanmetly leaving service of the Board and taking up employment with the Central Government or State Government or any other firm or establishment covered by the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. Provident Funds Act, 1925 or a Provident Fund recognised under Income Tax Act, 1961, the entire amount standing at the credit of his account may, at his option and with the consent of the new employer, be passed on to that employer. Applications for transfer of account shall be in Form-10.

32 *CIRCUMSTANCES IN WHICH THE ACCUMULATIONS IN THE FUND BECOME PAYABLE.*—(1) When a member, after completion of 15 years membership, voluntarily quits the service of the Board or his service is terminated by the Board otherwise than for misconduct, the amount standing to his credit in the Fund shall be paid to the member.

(2) When, in the circumstances set out in sub-regulation (1) above, a member quits service before completion of 15

years membership, the amount of his own subscription including interest plus the percentage of Board's contribution and of interest accrued thereon as set out hereunder shall be paid to the member. The balance of Board's contribution and interest thereon shall be appropriated to Reserve Accounts.

Length of membership	*Percentage of Contribution and interest thereon due*
Less than 3 years. ..	25%
3 years and over but less than 5 years. ..	50%
5 years or more but less than 10 years. ..	75%
10 years or above but less than 15 years. ..	85%
15 years or more. ..	100%

Note : (1) Membership for purposes of sub regulations (1) and (2) of this regulation shall, in the case of employees taken as members under sub-regulation (1) of regulation 7 hereof, include such service under previous employer.

(2) In the case of apprentices appointed as regular employees, the apprenticeship period shall not be counted as qualifying service under this regulatino.

(3) When a member quits service on reduction of its establishment by the Board or on becoming permanently incapacitated or on attaining the age of Superannuation or on the expiry of the preiod of his contract or tenure of employment, the amount standing at his credit in the Fund shall be paid to the member in full.

(3) Application for the final withdrawal of accumulation standing at the credit of the subscriber shall be in Form-11.

33. *DISMISSAL FROM SERVICE.*—(1) The employer shall not be entitled to recover any sum, whatsoever from the Fund save cases where the employee is dismissed for misconduct, or voluntarily leaves his employment otherwise than on account of ill health, before the expiration of the term of service specified in this behalf in the regulations of the Fund :

Provided that in such cases the recoveries made by the employer shall be limited to the contributions made by him to the individual account of the employee, and to interest credited in respect of such contributions in accordance with regulations of the Fund and the accumulations thereof.

(2) Before exercising the powers of forfeiture conferred by sub-regulation (1) above, the member concerned shall be called upon, by notice in writing, to show cause why the forfeiture should not be made and shall decide the amount of forfeiture after taking into account any representation made by the member.

(3) A forfeiture made under sub-regulation (1) above may be reviewed by the Bhakra Beas Management Board Employees Contributory Provident Fund Trust either of its own motion or at the request of the employer or the member.

(4) Any amount forfeitured from the individual account of the member under sub-regulation (1) shall be credited to the Reserve Account of the Fund.

34. *PAYMENT OF ACCUMULATIONS OF DECEASED MEMBER.*—On the death of a member, whatever be the period of his service the Executive Officer shall pay the whole amount standing to the credit of the member at his death in accordance with the regulations hereof. Application for payment of accumulation of deceased member to member(s) of the family/nominees(s) shall be in Form-12.

35. *ACCUMULATIONS OF A DECEASED MEMBER TO WHOM PAYABLE.*—The amount due to a deceased member from the Fund shall be paid :

(a) If a nomination made by the member in accordance with the provisions of regulation 8 in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in proportion specified, in the nomination.

(b) If no such nomination in favour of a member or members of his family subsists or if such nomination relates only to a part of the amount standing in his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall become payable to the members of his family in equal shares;

Provided that no share shall be payabale to :

(i) sons who have attained legal majority.

(ii) sons of deceased son who have attained legal majority.

(iii) married daughters whose husbands are alive.

(iv) married daughters of a deceased son whose husbands are alive.

If there is any member of the family other than that specified at (i), (ii), (iii) & (iv), the widow of the widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that deceased son would have received if he had survived the member and had not attained legal majority at the time of the member's death;

(c) Where, in the case of any deceased member, the provisions of clauses (a) and (b) above do not apply the whole amount due shall be payable to the persons legally entitled to it.

Note : For the purpose of this regulation a member's posthumous child, if born alive, shall be treated in the same way as a surviving child, born before the member's death.

36. *PROTECTION FROM ATTACHMENTS, ASSIGNMENTS, ETC.*—Consistent with the provisions of section 10 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the amount standing to the credit of any member, whether in service or retired or deceased shall remain protected from any assignment or charge or court decrees and this protection shall extend to nominees or heirs or legal representatives of a deceased member.

37. *BENEFITS OF FAMILY PENSION AND DEPOSITS LINKED INSURANCE SCHEME.*—The members of the Fund shall be entitled to the benefits of the Employees Family Pension and Employees Deposit-Linked Insurance Schemes as may be framed by the Board.

38. *BENEFITS OF DEATH RELIEF FUND.*—A death Relief Fund shall be set up for affording financial assistance to the nominees or heirs of deceased member, so that a minimum of Rs. 750/- is assured to the nominees or heirs of a deceased member. Necessary amount shall be transferred to this Fund from the Reserve and Forfeiture Account of the Fund from time to time. The benefit of the Death Relief Fund shall be given to the nominees or heirs of deceased members whose pay (i.e. basic wages, dearness allowance including cash value of any food concession and retaining allowance if any) does not exceed Rs. 500/- per month at the time of their death. The quantum of benefit from the Death Relief Fund shall be determined in the manner detailed hereunder :—

"If the amount standing to the credit of the deceased member falls short of Rs. 750/- by any sum, that sum shall be paid from the Death Relief Fund to his nominees or heirs in the same ratios in which they would get the claim money. No financial assistance from the Death Relief Fund shall be given to nominees or heirs of deceased members who joined the Provident Fund on or after attaining the age of 55 years and receiving full superannuation benefits."

File No. B/1273.

J. S. SINGHOTA
Secretary
Bhakra Beas Management Board
Chandigarh

FORM—1

DECLARATION AND NOMINATION FORM

[*See* regulation 5(3) and 8(3)]

1. Name——————————C.P.F. A/C No.——————————
2. Designation——————————Division——————————
3. Father's name——————————Date of appointment in BBMB——————————
4. Husband's name (in case of married woman only)——————————
5. Religion——————————(6) Caste——————————
7. Sex——————————(Height——————Ft.——————inches).
8. Marital Status——————————
   (whether married, unmarried, widow or widower)
9. Age——————————Date of birth——————————
10. Mark of identification——————————
11. Permanent Address :

Village——————————Thana——————————
Post Office——————————Distt——————————
State——————————

I declare that I have not previously been member of the G.P. Fund/Contributory Provident Fund (Detail given below)
Employer——————————
G.P.F. Account Number——————————T. No.——————————Period from——————————

I hereby nominate the persons mentioned below to receive the amount standing in my credit in the Fund in the event of my death before that amount has become payable of having become payable has not been paid and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner below against their names.

Name and address of the nominee or nominees	Relationship with the member	Age of nominee	Amount of share to be paid	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid.
1.				
2.				
3.				
4.				

Note : 1. Certified that I have no family and should I acquire hereafter, the above nomination should be deemed as cancelled.

2. Certified that my father/mother/sister(s) is/are dependent upon me.

Dated, this......................day of......................19..........at...........

Signature or left/right hand thumb impression of the member

1. Certified that the above declaration has been signed by Sh.——————————employed in the——————————of Bhakra Beas Management Board before me after he has read the entries.
   The entries have been read over to him by me.
2. Certified that the applicant is not pensioner and superannuated person of the State Government/Central Government/Electricity Board.
3. Certified that the applicant has completed 6 months continuous service or has actually worked for 120 days during the period of 6 months or less.

*Delete inapplicable words.

Signature (with stamp) of the Officer Incharge

FORM—2

Return of employees qualifying for membreship of the Employees' Contributory Provident Fund for the 1st time during the month——————————/19——————

[*See* regulation 5(5)]

(To be sent to the F.A. & C.A.O., B.B.M.B.)

Name and Address of the office :

Sl. No.	Account No.	Name of the employee (in Block Letters)	Father's name/ Husband's name. (in case of married woman)	Age	Sex	Date of eligibility for membership	Total period of previous service (excluding period of break as on the date of joining the Fund)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Signature of the Employer with stamp of office

FORM—3

[*See* regulation 11(3)]

Statement of contributions for the month——————————

Name of Division/Office——————————

Total No. of subscribers——————————

Currency period from——————to——————

Rate of contribution——————————

No. of members voluntarily contributing at higher than the prescribed rate——————————

	Total No. of subscribers	Wages/salaries on which contributions are recovered	Amount of contributions as per recoveries made in pay bills/Acquitance Registers			No. & date of cheque/bank draft at State Bank of India, Nangal	Amount	Remarks
			Worker/Employees share	Employer's share	Refund of Total advance			
No. as per last month's return (+)								
No. of new subscribers as per details attached.								
(—) No. of subscribers left service as per details attached.								
Net Total								
(1) This should tally with the figures given at the top right hand corner of this form.								

Signature of the Employer or authorised officer with office seal

FORM—4

[*See* regulation 11(3)]

Return for the month of——————————

Name of office——————————

Sl. No.	Account No.	Name of Member	Wages retaining allowances (if any) and D.A. including cash value of the food concession paid during the current period	Worker's contribution	Employer's contribution	Total Col. 5 & 6	Recovery of Advance
1	2	3	4	5	6	7	8

Signature of Head of the office (with stamp)

FORM—5

[*See* regulation 23]

Balance sheet of the Bhakra Beas Management Board Employees, Contributory Provident Fund Trust, Nangal Township for the financial year ending——————/19——————.

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
1. Employees Share		1. Balance in Five Years Post Office Time Deposit	
2. Employer's share		2. Balance in Govt. of India Special Deposit Scheme	
3. Employer's share forfeited (Reserve Account)		3. Balance in Post Office Saving Fund Account	
4. Interest payable on (1) for the year............		4. Balance in Central Govt. securities	
5. Interest payable on (2) for the year............		5. Balance in State Govt. securities	
6. Interest payable on (3) for the year............ (Reserve Account)		6. Balance in Central/State Govts. guaranted securities	
7. Difference		7. Balance in Current Account with State Bank of India	
		8. Difference	

Sd/-
Accounts Officer (C.P.F.)
O/o Financial Adviser & Chief Accounts Officer,
B.B.M.B.

To be signed by :
(i) Members representing Management
(ii) Subscribers

FORM—6

Annual Statement of account for the year.....

Rate of interest per annum

[*See* regulation 24)]

Account No.	Name	Opening Balance	Contribution during the year			With-drawal	Interest on			Closing Balance
			Employee's Share	Employer's Share	Total Col. (4&5).		Employee's Share	Employer's Share	Total Col. (8 & 9)	
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11

Accounts Officer/CPF

INSTRUCTIONS/NOTE:—

1. File nomination if not already done.
2. If an employee desires to make any alteration in his previous nomination, he should forward a revised nomination in the prescribed form.
3. In case where the employee had nomination in favour of person/persons other than a member/members of his family, to his having no family at the time, but has acquired a family thereafter, a fresh nomination in the prescribed form should be forwarded forthwith.
4. The employee is required to satisfy as to the correctness of the statement and to bring errors, if any, to the notice of Accounts Officer, C.P.F., O/o Financial Adviser & Chief Accounts Officer, Bhakra Beas Management Board, Nangal Township, within one month from the date of receipt of statement.

FORM—7

Contribution Card for the year.....

[*See* regulation 24(A)]

1. Account No.——————————
2. Name ——————————
3. Father's Name——————————

Contributions

Paid Month	Member's	Employer's	Total	Refund of advance	Remarks
1	2	3	4	5	6
April					
May					
June					
July					
August					
September					
October					
November					
December					
January					
February					
March					
TOTAL :					

Checked and found correct
(authorised official of the FA & CAO, BBMB)

Signatures of the Employer or the Head of office, or other Authorised Officer

FORM—8

[*See* regulation 24(A)]

Consolidated Annual Contribution Statement for the year————————

Sl. No. of C. card	Account No.	Name of Member	Employee/ Worker Contribution	Employer's Contribution	Refund of advance	Total (4+5+6)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8

Grand Total :—

Reconciliation of Remittances		Amount remitted contributions (including refund of advance
Sl. No.	Paid Month/ Year	
1.	April	
2.	May	
3.	June	
4.	July	
5.	August	
6.	September	
7.	October	
8.	November	
9.	December	
10.	January	
11.	February	
12.	March	

Signature of Head of the office/division

FORM—9

Application for advance from B.B.M.B. Employees' Contriubotry Provident Fund.

[*See* regulation 25(2)]

1. Name of subscriber ————————
2. Father's name ————————
3. Designation ————————
4. Office to which attached ————————
5. C.P.F. Accounts No. ————————
6. Present Pay (Basic) ————————
7. Amount of Advance Rs. ———— (Repayable in————monthly instalments of Rs.————each)
8. Date/month of Membership ————————
9. Date of retirement ————————
10. (i) Purpose for which advance is required ————————
    (ii) Whether the member is wholly dependent upon the applicant or not ————————
    (iii) Rules under which request for advance is covered ————————
11. (i) Credit balance in the subscriber's account (employee's share) on 31st March 198 ————————
    (ii) Details of Employee's share contributed from April————to————

Month	Amount
April	
May	
June	

    (iii) Total (i) plus (ii) ————————
12. Whether the advance is required by Bank Draft or cheque. If by Bank Draft, state the name of particular S.B.I. at which the Draft is required (for outsiders only) ————————
13. Refund of advances, if any, after 31st March preceding ————————
14. Particulars of advances drawn by the applicant during last 3 years indicating the purpose of such advances and the rate of monthly recovery. ————————
15. Particulars of outstanding advances indicating the balances due from the applicant on account of each such advance ————————

I certify that the particulars given above are correct and true to the best of my knowledge and belief. In case the above information is found false the entire amount of advance may be recovered in cash in lump sum.
Advance/Stamped Receipt

Affix
Revenue
Stamp

Signature of the applicant
Date :—

(Specific recommendation of the Employer)
No.———— Dated ————

Forwarded to Accounts Officer (C.P.F.), Office of the Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Bhakra Beas Management Board, Nangal Township (PIN : 140124) for further action.

The grant of advance of Rs.————is recommended under Regulation————of B.B.M.B.C.P.F. Reg. The amount of advance will be recoverable in———— monthly instalments of Rs.————each.

This will be his 1st/————advance from C.P.F.

(Signature of Head of office)
with Seal of office

FORM—10

(Application for Transfer of Accounts)

(In duplicate)

[*See* regulation 31)]

To

The Financial Adviser & Chief Accounts Officer,
B.B.M.B. (C.P.F. Section),
Nangal Township.

Sir,

I request that my contributory Provident Fund balance may please be transferred to———— Necessary particulars regarding Provident Fund balances are furnished below:—

1. Name ————
2. Father's name (or husband's name in case of married woman) ————
3. Name and address of previous employer Whether unexempted/exempted/uncovered ————
4. (a) Previous Provident Fund Account No. Whether unexempted/exempted/uncovered ————
5. Date of leaving service with previous employer ————
6. Name and address of the present employer Whether unexempted/exempted/uncovered ————
7. (a) Present Provident Fund Account No. ————
8. Date of joining : ————

*Signature or left/right hand thumb-impression of the member

*Left hand thumb-impression in the case of illiterate male member and right hand thumb-impression by illiterate female member.

FOR USE OF PRESENT EMPLOYER

Forwarded to the Financial Adviser and Chief Accounts Officer, B.B.M.B. (C.P.F.), Nangal Township for necessary action:—

(i) Certified that the facts stated above at 1, 2, 6 to 8 are correct.
(ii) The regulations of B.B.M.B. Provident Fund permit such transfers and hence the transfer my be made.
(iii) The cheque for the amount of P.F. dues of the applicant may be drawn in favour of the————

(To be filled in the case of exempted and uncovered establishment only)

Signature of Employer or other authorised Officer or the Employer

Encl :
Duplicate copy of application.

No. Dated :

Forwarded to the———— He is requested to intimate the name of the officer and the address at which the cheque for the following amount should be sent on transfer to covered/exempted establishments.

	Rs.	P.	
Employee's share=			(including interest)
Employer's share=			Do.
Total			

Accounts Officer (CPF)
O/o Financial Adviser and C.A.O.
B.B.M.B. (C.P.F.)
Nangal Township-140124 (Pb.)

FORM—11

Application for the final withdrawal of Accumulations standing to the credit of the subscriber in the BBMB Employees, Contributory Provident Fund on Superannuation/Retirement/Termination/Resignation/Dismissal.

[*See* regulation 32(3)]

To

The Financial Adviser and
Chief Accounts Officer (C.P.F. Section),
Bhakra Beas Management Board,
Nangal Township-140124 (Punjab)

Through:———— (Give name of the employer under whom the member was last employed)

Sir,

I hereby request you to arrange the payment of the amount standing in my account No. BBMB/———after making such deductions as are required to be made under the BBMB C.P.F. Regulations. I give hereinbelow necessary particulars required for the purpose:—

1. Name (in Block letters) . . . . . ———
2. Father's name (or husband's name in the case of a married woman) . . . . . ———
3. Token No. if any . . . . . ———
4. Designation . . . . . ———
5. Name of the office in which the member was last employed . ———
6. Grounds on which the request for final withdrawal is made with date . . . . . ———
7. Name and address of the present employer . . . . ———
8. Period of continuous service in B.B.M.B.—
   (a) From ———(Commencement of service) . .
   to———(Actual date of relief from BBMB service) ———
   (b) No. of completed years . . . . . ———
9. For re-employed employees :
   Period of reemployment in B.B.M.B. . . . . .
   (a) From———to——— ———
   (b) No. of completed years . . . . . ———
10. Amount of B.B.M.B. C.P.F. money standing at the credit of the applicant (last account statement to be attached) . . ———
11. Particulars of 1 subscription i.e. month and amount . . ———
12. Complete postal address at which the payment may be made . . . . . ———
13. Mode of payment . . . . . ———
    (by cheque/Bank Draft

I do hereby certify that the particulars given above are ture to the best of my knawledge.

I further solemnly declare that I have not been employed in any establishment to which Provident Fund Act, 1925/E. P. F. Act, 1952 applies.

I also undertake to refund the amount of overpayment, if any, made to me on account of Final Payment, of G.P.F. as soon as it comes to notice of BBMB Employer's CPF Trust.

Advance payment receipt.

Signature or left hand thumb impression of the member (with full address)

Affix 20 Revenue stamp

(Signature of the claimant)
Dated:

Certified that the above declaration has been signed/thumb impression added before me by Shri/Shrimati employed in————

DATED

Signature of the employer or any other authorised officer
Designation ————

Note: To be attested with official seal and date by any one of the following officers :—

1. Magistrate
2. Gazetted Officer
3. Post/Sub Post master
4. Sarpanch of the village
5. Chairman/Secretary/Member of the Municipal/Board or Zila Parishad
6. Member of the Parliament/Legislative Assembly
7. Member of Board of Trustees.

Endstt. No. Dated:

Forwarded to the Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Bhakra Beas Management Board (C.P.F. Section), Nangal for final payment with the following particulars :—

1. He/She has been relieved on ——————————as his/her services have been terminated, he/she has resigned or has superannuated/retired.
2. The last fund deduction amounting to Rs. ——————————was paid to the Trust, vide cheque No.——————————dated for Rs. ——————————.
3. Certified that he/she had taken the following advances in respect of which Rs.——————————are yet to be recovered and credited to fund account.

Sl. No.	Particulras	Temporary Advance	Non-refundable advance
a.	Advance withdrawn with date		
b.	Amount refunded		
c.	Balance to be recovered		
d.	Add interest on advance		
e.	Total amount to be recovered		

4. Certified that he/she was not superannuated person/pensioner before joining the service of the Board.
5. Certified that the adhoc services rendered by the applicant are not countable towards pensionary benefits on his resignation of services of Centre/State Government/Electricity Boards. The contribution card for the period from —————— to——————is enclosed.

Signagure of Head of office (with stamp) under whom the member was last employed

Encl:
Contribution Card.

FOR USE IN F. A. & C.A.O. (BBMB)'s OFFICE

Balance at the credit of the member ——————

(i) Employees' share.
(ii) Interest on employee's share
(iii) B.B.M.B.'s Share:
(b) Less lapsed amount, if any
(c) Net BBMB's share:—
(iv) Interest on BBMB's net share (Col. iii (b))
(v) Total [Col. i, ii, iii (b) & iv].
(vi) Less amount of advance to be recovered
(vii) Net amount payable

Checked
Divisional Accountant/ Superintendent.

Accounts Officer/CPF

Sanctioned and passed for Rs. ——————(Rupees ——————

Executive Officer, for Board of Trustees, B.B.M.B., C.P.F. Trust.

Pay Rs. ——————(Rupees ——————).

Accounts Officer

Dated:

FORM—12

(Application for payment of accumulation of deceased member to member(s) of the family/nominee(s)
(Form to be used by a nominee or a member of the family)

[See regulation 34)]

To

The Financial Adviser and Chief Accounts Officer,
Bhakra Beas Management Board (C.P.F. Section),
Nangal Township (140124).

Through :————————————————(Give the name of the Employer under whom the member was last employed).

Sir,

I/we, the following, being member(s) of the family/nominees of the deceased member apply for the payment of the accumulations standing at the credit of the deceased member in the fund:—

No.	Name and Address	Sex	Date of birth or age.	Marital status i.e. widow/ divorced/ married/ unmarried.	Relation-ship with the deceased member	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7

Note : 1. (i) In case no nomination subsists, the claiming member should produce an affidavit in support or the claims.

(ii) In case the claimant is not a member of the family as defined in sub-regulation (9) of regulation 2 of the BBMB Employees CPF Regulations, 1980, he should produce a legal heir certificate from the Tehsildar of the Area concerned.

(iii) Married daughters or married daughters of a deceased son should state in the remarks column, whether their husbands are alive.

(iv) Certificates of dates of birth in respect of all members of the family/nominees other than the widow/widower obtained from the Panchayat/Municipal Committee/Recognised School, may be attached.

2. Particulars in respect of the deceased member are given below:—

(i) Name and address of the deceased. . . .

(ii) Father's/Husband's name (in case of female). .

(iii) Token number, if any. . . . . . .

(iv) date of death. . . . .

(v) Was employed in . . . . . .

(vi) ~~Postal address at which the payment~~ is required. .

(vii) Account No. in the fund. . . . . . .

(viii) Mode of payment (by cheque/Bank Draft):—

I do hereby certify:—

(i) that to the best of my/our knowledge, a/no posthumous child of the deceased member will/be born.

(ii) that particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

(iii) I also undertake to refund the amount of over payment, if any made to me on account of Final Payment of CPF as soon as it comes to notice of BBMB Employees CPF Trust.

Advance payment receipt. . . . . (1) For self : Signature or left/right hand thumb impression of the applicant.

(2) For minor members as their natural guardian. (in case a widow/widower). Signature of left/right hand thumb impression of the applicant.

Affix 20 paise Revenue Stam

Signature of the claimant. - -

Certified that the above declaration has been signed/thumb impression added before me by Shri/Shrimati—————— being the claimant/claimants.

Signature of the employer or any other authorised officer (with designation and seal).

Date :

(List of authorised officers).

1. Magistrate, or
2. A gazetted officer, or
3. Post/Sub Post master, or
4. President of the village Union, or
5. President of the village Panchayat, or where there is no Union/Board, or
6. Chairman/Secretary of the Municipal/Zila Parishad, or
7. Member of Parliament/Legislature Assembly, or
8. Members of the Board of Trustees.

Left hand thumb impression in the case of an illiterate male applicant and right hand thumb impression of illiterate female applicant, should be affixed.

Endorsement No : Dated:

Forwarded in original to the Financial Adviser (C.P.F. Section) Nangal Townsihip for payment. It is certified that

(1) the last fund deduction for the month of ——————amounting to Rs.—————— was paid to the trust through cheque No.——————dated——————.

(2) the deceased had taken the following advances in respect of which Rs. ——————are yet to be recovered and credited to the fund:—

Sl No.	Particulars	Temporary Advance.	Non-refundable Advance.
1	2	3	4
	(a) Advance taken with date of withdrawal		
	(b) Amount refunded		
	(c) Balance to be recovered		
	(d) Add interest		
	(e) Total amount recoverable		

(3) The amount payable to the nominee/member(s) of the family in terms of B.B.M.B. employees C.P.F. Regulations, 1980 is as under:—

(a) Deceased, members's share

(b) Employer's share.

(c) Total amount payable.

(4) The contribution card for the period from ——————to——————is enclosed.

Signature of the Head of Office
(with stamp)

Encl:

FOR USE IN F.A. & C.A.O's OFFICE B.B.M.B.

1. Deceased member's share . . . .
2. B.B.M.B.'s share : . . . .
3. (i) Interest on (1) : . . . .
   (ii) Interest on (2): . . . .
4. Total amount : . . . .
5. Less amount. of advance recoverable . . . . . .
6. Net amount payable . . . .

Checked.
Divisional Accountant/Superintendent.

Accounts Officer (CPF)

Sanctioned and passed for Rs. ——————(in words)
Rules——————)

Executive Officer,
for Board of Trustees, B.B.M.B.
(CPF Trust) Nangal Township.

Dated:

Pay Rs. ——————(Rupees)——————)
Dated:

Accounts Officer (CPF)

Paid by me Rs. ——————vide cheque No :——————dated——————
Accounts Officer/CPF

Received cheque No :——————dated——————

Signature : ——————
Name: ——————

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981